HRGazette of India

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भादपद 7, 1930 No. 470] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRAPADA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 622(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1 लघु नाम और प्रारम्भ:-

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 कहा जाएगा ।
- (2) इन्हें 1 जनवरी, 2006 से लागू माना जाएगा।

2 उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये निर्णय लागू होंगे:-

- (1) अन्यथा उपलब्ध व्यवस्था या इन नियमों में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में नियुक्त कर्मचारियों और पदों, जिनका वेतन सिविल प्राक्कलन में से अदा होता है तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों पर भी लाग होंगे ।
- (2) . ये नियम लागू नहीं होंगे:-
 - (i) उन व्यक्तियों पर, जो केन्द्रीय सिविल सेवाओं और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में नियुक्त हैं।
 - (ii) उन व्यक्तियों पर, जो राजनयिक, कांसुली अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानीय रूप से सेवार्थ भर्ती हैं;
 - (iii) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवायोजन में नहीं हैं;
 - (iv) उन व्यक्तियों पर, जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है;
 - (v) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है;
 - (VI) उन व्यक्तियों पर जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं । केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां अनुबंध में अन्य प्रकार से इसका प्रावधान किया गया हो;

3255 GI/2008 - F

(1)

4 14441 1-4

- (vii) उन व्यक्तियों पर जो सेवा-निवृत्ति के बाद पुन: सरकारी नौकरी में लगाए गए हों;
- (viii) उन किसी भी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित करते हों ।
- 3 **परिभाषाएं-** इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (1) "मौजूदा मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित मौजूदा वेतनमान में आहरित किया जाता है, जिसमें गत्यवरोध वेतनवृद्धियां भी शामिल हैं परन्तु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ।
 - (2) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो सरकारी कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 को वास्तविक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो, वैयक्तिक वेतनमान पर लागू हो) ।
 - स्पष्टीकरण- किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 2006 को विदेश में प्रतिनियुक्ति अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेवा में था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतनमान" में किसी पद के लिए ग्राह्य वेतनमान जो उसने भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी विदेश सेवा में होते हुए अथवा, जैसा भी मांमला हो, धारित किया होता, शामिल होगा।
 - (3) "मौजूदा परिलब्धियों" से आशय है (i) मौजूदा मूल वेतन, (ii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई वेतन तथा (iii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई भत्ता + 536 (1982 = 100) के सूचकांक औसत पर दिया जाने वाला महंगाई वेतन ।
 - (4) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद/ग्रेंड के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख कालम 3 में पद के सामने किया गया है;
 - (5) "वेतन बैंड में वेतन" का तात्पर्य है प्रथम अनुसूची के कॉलम 5 में दिए गए रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन ।
 - (6) "ग्रेड वेतन" पूर्व-संशोधित वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत देय राशि ।
 - (7) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद के सबंध में "संशोधित वेतन ढाँचे" का तात्पर्य उसके कालम 5 तथा 6 में निर्दिष्ट वेतनमान या उस पद के समक्ष उल्लिखित ग्रेड वेतन और वेतन बैंड से है, बशर्ते कि उस पद के लिए अलग से भिन्न-भिन्न संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान अधिसूचित न किए गए हों।
 - (8) संशोधित वेतन ढाँचे में "मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड तथा लागू ग्रेड वेतन के जोड़ में आहरित किया जाता है, परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शमिल नहीं है ।

एच.ए.जी.+, शीर्षस्थ वेतनमान तथा मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतनमान में मिलने वाले वेतन से है ।

- (9) "संशोधित परिलब्धियों" का अर्थ संशोधित वेतनमान में सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से है जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त उसे दिया जाने वाला संशोधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता, यदि कोई हो, या एच.ए.जी.+उसके ऊपर के वेतनमान में मूल वेतन भी शामिल है।
- (10) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है ।

4 **पदों का वेतनमान-** प्रथम अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित प्रत्येक पद/ग्रेड के लिए यथा लागू वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान का उल्लेख उसके कॉलम 5 तथा 6 के सामने किया जाएगा ।

1 (· · ·

·]

5 **संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का आहरण-** इन नियमों में अन्यथा निहित प्रावधानों को छोड़कर कोई भी सरकारी कर्मचारी उसके नियुक्त पद पर लागू संशोधित वेतन ढाँचे में अपना वेतन प्राप्त करेगा ।

बशर्ते कि कोई सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तकं, अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक मौजूदा वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है ।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी को 1/1/2006 तथा पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण बनाए गए इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वह सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे का विकल्प चुन सकता है ।

- स्पष्टीकरण 1- इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा ।
- स्पष्टीकरण 2- ऊपर दिया गया विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित होकर आया हो, उसे केवल संशोधित वेतन ढाँचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी ।
- स्पष्टीकरण 3- जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूलभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता या निलंबित न किए जाने तक उसका पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अर्जित करता ।
 - 6 विकल्प का चयन-
 - (1) नियम 5 के उपबंध के अंतर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उप नियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के तीन माह के अंदर पहुंच जाने चाहिएं अथवा जहां वर्तमान वेतनमान निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के तीन माह बाद तक पहुंचना मान्य होगा।

बशर्ते कि-

- (i) उस मामले में जब सरकारी कर्मचारी उस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में देश से बाहर हो । उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के भारत में आने और यहाँ का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अंदर लिखित रूप में पहुंच जाए, तथा
- (ii) जहां कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को निलंबित हो तो ऐसे में उसके काम पर लौटने की तारीख इस उप -नियम के प्रकाशित होने की तारीख के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अंदर लिखित विकल्प दे सकता है ।
- (2) विकल्प की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी ।
- (3) अगर सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप-नियम 1 के अनुसार निर्धारित तारीख के अंदर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नए संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार वेतन दिया जाएगा ।
- (4) एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा ।

4			THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II-SEC. 3(i)]
	नोट 1-	-	जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो स्वीकृत कारण सेवामुक्त कर दिए जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा सेवा-मुक्ति अथवा अनुशास से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी इस नियम के लाभों का	नहीनता के कारणो
	नोट 2-	•	जो लोग 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित स संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके उनकी स्थिति में भी यह मान लिया उ जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों को लाभप्रद लगे, उ का चयन कर लिया है । अगर संशोधित वेतन ढाँचे उनके हक में हैं तो बकाया राशि के भुगता- कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी ।	जाएगा कि उन्होंने 1 उन्होंने नए वेतनमान
	नोट 3-		जो व्यक्ति 1/1/2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वे उन्हें छुट्टी के इस नियम के लाभ मिलेंगे ।	5 हकदार बनाता है,
	7	संशोधि	त वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारणः	
			कोई सरकारी कर्मचारी, जिसने 1 जनवरी, 2006 को और उसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे लिए नियम 6 के उप नियम (3) के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह कार्य-पुनर्ग्रहणाधिकार रखता है या निलंबित न होन अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष नियम य हो, उसका आरंभिक वेतन अलग से निर्धारित किया जाएगा और उसके धारित पद में उसके वेतन में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा ।	विकल्प चुनना मान ने की स्थिति में यह 11 अन्यथा निर्देश ना
	(क)	सभी कम	र्वचारियों के मामले में-	
		(i)	वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1/1/2006 को यथाविद्यमान मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाए	1.86 के गुणक से गा ।
٠		(ii)	यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा ह वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा ।	है तो वेतन संशोधित
			इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि:-	
			वेतन निर्धारण में जहां कहीं सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है, अर्थात अन्यथा कहें तो इसी अवस्था पर में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाअ वेतनवृद्धि का लॉभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अ जा सके। इस प्रयोजन के लिए वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी। के लिए वेतनवृद्धियां देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।	संशोधित वेतन ढांचे गों के लिए उन्हें एक नधिक बंचिंग से बचा
		•		

I.

The sector is the second second

वेतन बैंड पी.बी.-4 में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच.ए.जी.) में वेतनमानों के मामले में बंचिंग के कारण वेतनवृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों में सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। एच ए जी + वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड /वेतनमान (जहां लागू हो) की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो ।

- (iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा । वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा ।
- नोट- उपर्युक्त पर उदाहरण 1 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।
 - (ख) उन कर्मचारियों, जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उप खण्ड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा ।
 - (ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, सचिवालय सहायकों के लिए विशेष वेतन, केन्द्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता/वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर दिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगें ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर भत्ते, इन भत्तों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे ।
 - (घ) चिकित्सा अधिकारियों के मामले में उन चिकित्सा अधिकारियों, जिनको प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा है, का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में सूचकांक औसत 536 (1982= 100) पर स्वीकार्य प्रैक्टिस -बंदी भत्तों के लिए उपयुक्त पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता संशोधित वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण करते समय जोड़ा जाएगा तथा ऐसे मामलों में नई दरों पर प्रैक्टिस -बंदी भत्ता 1/1/2006 अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित वेतन के अतिरिक्त मिलेगा । इस संबंध में उदाहरण 2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।
- टिप्पणी 1- (क) समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन ढांचे में वेतन प्रारंभ में उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार-1एस वेतन बैंड में उपयुक्त ग्रेड वेतन के साथ निर्धारित किया जाएगा । तदनुसार बकाया राशि का भुगतान किया. जाएगा । उसके पश्चात ऐसे उन समूह "घ" कर्मचारियों का वेतन 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.1 में 1.1.2006 से निर्धारित किया जाएगा जो पी.बी.1 में प्रविष्टि के लिए निर्धारित आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित न्यूनतम अर्हताएं पहले से ही रखते हैं ।

1 1441 1-16

(ख) ऐसे मौजूदा सम्पूह "घ" कर्मचारी, जो पी.बी.1 में प्रविष्टि के लिए संशोधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, को संबंधित विभाग द्वारा अधिमानत: छह माह के भीतर पुन: प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि स्तरोन्नयन के फलस्वरूप मिलने वाले बकाया के भुगतान में विलम्ब न हो । पुन: प्रशिक्षण के बाद इन समूह "घ" कर्मचारियों को भी 1.1.2006 से 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी.बी.1 में रखा जाएगा और तदनुसार बकाया राशि आहरित की जाएगी । एक बार वेतन बैंड पी.बी.1 में आने के बाद, इस श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारियों को भी न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अन्य श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारियों की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुन: प्राप्त कर लेगे और इसीलिए ये 1.1.2006 को पी.बी. वेतन बैंड में रखे गए हैं । तत्कालीन समूह "घ" में सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निचले वेतनमान वाले कर्मचारी की तुलना में उच्च वेतनमान में रखे जा रहे पूर्व-संशोधित उच्च वेतनमान वाले समूह "घ" कर्मचारी के साथ पूरी तरह बहाल रखी जाएगी । उसी पूर्व-संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता, जो संशोधन से पहले थी, बनी रहेगी ।

(ग) दोनों मामलों में अर्थात अर्हताएं रखने वाले समूह "घ" के वे कर्मचारी जिन्हें सीधे पी.बी.1 में रखा गया है तथा समूह "घ" के वे कर्मचारी जिनके पास अर्हता नहीं है, लेकिन पुन: प्रशिक्षण के बाद रखा गया है, की बकाया राशि 1.1.2006 से देय होगी । समूह "घ" कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित उदाहरण 3 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

- टिप्पणी 2क- जहां किसी पद को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें के फलस्वरूप स्तरोन्नत किया गया है, जैसा कि इन नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग "ख" अथवा भाग "ग" में दर्शाया गया है, वहाँ लागू वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुरूप निर्धारित पद्धति से दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन को गुणक 1.86 से गुणा करने के फलस्वरूप आने वाली संख्या को दस के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा । स्तरोन्नत वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, जैसा भाग "ख" अथवा "ग" के कॉलम 6 में दर्शाया गया है, अतिरिक्त रूप से देय होगा । इस संबंध में उदाहरण 4 क इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।
- टिप्पणी 2(ख)- वेतनमानों के आमेलन के मामले में, संशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन दिनांक 01.01.2006 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार मौजूद मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त संख्या को दस के गुणक में पूर्णांकित करते हुए नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुसरण में निर्धारित तरीके से मौजूद मूल वेतन को गुणा करते हुए किया जाएगा । भाग ख अथवा ग के कॉलम 6 में दर्शाए गए अनुसार आमेलित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन इसके अतिरिक्त दिया जाएगा न इस संबंध में इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में उदाहरण 4 ख दिया गया है ।
- टिप्पणी 3-यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो और वह छुट्टी का वेतन लेने का हकदार हो तो वह 1.1.2006 से अथवा संशोधित वेतन ढांचें में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा । इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को अध्ययनार्थ छुट्टी पर हो तो वह 1.1.2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा ।
- *टिप्पणी 4-* निलंबित सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा ।
- टिप्पणी 5- जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किस उच्च पद पर स्थानापत्र रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापत्र पद के संदर्भ में ही किया जाए जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जाएगा।

इस नोट के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित,उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो कि विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशोधित वेतन संरचना वाले स्थानापत्र पद पर कार्यरत हैं ।

- *टिप्पणी 6-* यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।
- *टिप्पणी 7-* जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो ।
- *टिप्पणी 8-* जहां कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में उस सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।
- टिप्पणी 9- उन कर्मचारियों के मामले में जो कि 1 जनवरी, 2006 के पूर्व "हिन्दी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिन्दी प्राज्ञ, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपिक तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या रोकड़ शाखा एवं लेखा मामलों में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते । ऐसा व्यक्तिगंत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता ।
 - स्पष्टीकरण- इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, "संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर" से अभिप्राय वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड़ के 3 प्रतिशत से है जिस पर कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित होगा।
- *टिप्पणी 10-* ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की 1 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोत्रति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है । तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैंड में वेतन के बराबर कर दिया जाए । यह वृद्धि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात्:-
 - (क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों का एक ही कैडर का होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह कैडर में समान पद होने चाहिए ।
 - (ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, समान होने चाहिए ।
 - (ग) वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों ।
 - (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए । यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस नोट के प्रावधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।
 - (2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उप नियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन मूलभूत पद में नियत किए गए वेतन से कम है तो पूर्व को मूलभूत वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जाएगा ।

1.1948.0.1.0

8 **1.1.2006 को अथवा उसके बाद नए रिक्रूटों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के बेतन का संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारण-** इन नियमों की प्रथम अनुसूची का भाग "क" का खण्ड II वेतन बैंड में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों का वेतन 1.1.2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा।

यह 1.1.2006 और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा । ऐसे मामलों में, जहां पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियां[अर्थात सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान (वेतनमानों] में मूल वेतन जमा महनाई भत्ता] संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महनाई भत्ते के जोड़ से अधिक हों तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

9 **संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि**- संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 3 प्रतिशत होगी, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा। वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जाएगी। इस संबंध में उदाहरण 5 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है। पी.बी. 3 के मामले में, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के हिसाब से वेतनवृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था की गई है। वेतनवृद्धि की यह उच्चतर दर पी.बी.3 में आने वाले अधिकारियों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों को नहीं दी जाएगी।

10 **संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि की तारीख-** वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी । 01 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक पूरा करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे । संशोधित वेतन संरचना में 1.1.2006 को वेतन संशोधित वेतन ढांचे में 1.1.2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतनवृद्धि 1.7.2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी, जिनकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2006 और 31 दिसंबर, 2006 के बीच होगी ।

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामले में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 01 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहे थे। उसके बाद उन पर नियम 10 की शर्त लागू होगी।

बशर्ते कि उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाल दिया जाएगा । उच्चतर वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा । उसके पश्चात वह उच्चतर वेतन बैंड में तब तक रहेगा जब तक वेतन बैंड में उसका वेतन पी.बी.4 के अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी ।

नोट 1- ऐसे मामलों में, जहां दो मौजूदा वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित वेतन सरचना में वेतन बैंड में वह मौजूदा उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन बैंड में वेतन उसी तारीख से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतनवृद्धि नियम 10 के अनुसार प्राप्त करेगा।

11 **1 जनवरी, 2006 के बाद संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण-** जहां सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 1 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

(i) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जाएगा । उस तिथि को लागू महंगाई वेतन और पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता 1.1.2006 को यथा-विद्यमान दरों पर आधारित होगा । यह संख्या 10 के अगले गुणक से गुणा की जाएगी और इस प्रकार निकाली गई संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा । इसके अतिरिक्त पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा । जहाँ कहीं कोई सरकारी कर्मचारी विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ता ले रहा होगा तो, नियम 7 (i) (ख), (ग) अथवा (घ) में यथा विहित प्रक्रिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल वेतन और महंगाई वेतन ही गणना में लिया जाएगा किन्तु महंगाई भत्तो का परिकलन 1.1.2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जाएगा ।

12 1 जनवरी, 2006 के बाद पुनः नियुंक्त होने पर उस तारीख से पहले धारित पद पर वेतन का निर्धारणं- वह सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापत्र रहा हो परन्तु उस तारीख को उस पद पर न रहा हो, जो बाद में उस पद पर नियुक्त होने पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन ले रहा हो तो उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा कि क्या 1 जनवरी, 2006 को वह उस पद पर था और उसने उस तारीख को तथा उस तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में रहने का विकल्प दिया था।

13 1.1.2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन-निर्धारण- संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति की स्थिति में निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा।

- (i) वेतन बैंड में वेतन राशि के 3 प्रतिशत राशि के समान एक वेतनवृद्धि और मौजूदा ग्रेड वेतन को जोड़ लिया जाएगा तदन्तर इसे 10 के अगले गुणक में गुणा किया जाएगा इसे वेतन बैंड में मौजूदा वेतन से जोड़ लिया जाएगा इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जाएगा । जहां पदोन्नति में वेतन बैंड में तब्दीली भी जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्धति का पालन किया जाएगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जाएगा ।
- (ii) वेतन बैंड -4 से एच ए जी+ में पदोन्नति की स्थिति में, नियम 9 में यथा विहित तरीके से एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद, वेतन बैंड और मौजूदा ग्रेड में वेतन को मिला लिया जाएगा और इस प्रकार से हासिल संख्या ही एच ए जी+ में वेतन होगा । यह राशि वेतनमान के अधिकतम 80,000 रूपए से अधिक नहीं होगी । प्रैक्टिस बंदी भत्ता, वेतन जमा प्रैक्टिस बंदी भत्ता पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह राशि 85,000 रूपए से अधिक नहीं होगी ।

14 **वेतन-बकायों के भुगतान की विधि-** बकायों का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा । पहली किस्त कुल राशि का 40 प्रतिशत होगी । बकायों की शेष 60 प्रतिशत राशि अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों हेत्:

- (क) "बकाया वेतन" का अर्थ एक सरकारी कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित के बीच अंतर:
- (i) इन नियमों के तहत वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण वह संगत अवधि जिसका वह पात्र है के लिए उसका कुल वेतन एवं भत्ते संशोधित भत्ते(महंगाई भत्ते और प्रैक्टिस बंदी भत्ते के सिवाय) 1.9.2008 से ही देय होंगे; और
- (ii) उस अवधि के वेतन एवं भक्तों का कुल जिसका कि वह पात्र होगा (चाहे ऐसे वेतन और भक्ते पाए गए हों या नहीं) चाहे इस प्रकार से उसका वेतन संशोधित नहीं किया गया हो ।
- (ख) "प्रासंगिक अवधि" से आशय 1 जनवरी, 2006 से प्रारंभ होकर-31 अगस्त, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि से है ।

15 नियमों का अधिक्रमण- मूलभूत नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन का संशोधन) नियम, 1947, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986 और सी सी एस (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के प्रावधान, जैसा कि अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, इन नियमों के साथ असंगत होने की सीमा तक उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहां इन नियमों के अधीन वेतन विनियमित किया गया हो ।

16 ढील देने की अपील- राष्ट्रपति, जहां संतुष्ट हों कि इन नियमों के सभी या कोई एक प्रावधान किसी विशेष मामले में अवांछित अड़चन पैवा करता है, तो इस स्थिति में वे इस मामले के न्यायसंगत निपटान के लिए यथा-आवश्यक सीमा तक इस आवेश के विलोपन या इसमें वांछित मात्रा तक ढील दे सकते हैं बशतें कि वे ऐसा किया जाना जरूरी समझें।

17 व्याख्या- इन नियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो निर्णय के लिए इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा जाए।

3255G1/08-2

पहली अनुसूची (नियम 3 और 4 देखें)

भाग- क

खण्ड I

जिन पदों के लिए संशोधित वेतनमान अलग से अधिसूचित किए जाने हैं, के सिवाय 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' समूहों में विद्यमान पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन

		मौजूदा वेतनमान		संशोधित वेतन संरचना	····
क्र.	पद/ ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/	सादृश्य वेतन	सादृश्य ग्रेड वेतन
सं.			वेतनमान का नाम	बैंड/वेतनमान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	एस-2क	2610-60-2910-65-3300-70- 4000	-1एस	4440-7440	1600
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
7	एस-6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
8	एस-7	4000-100-6000	वेतन बेंड-1	5200-20200	2400
9	एस-8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	एस-9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	एस-10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	एस-11	6500-200-6900	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	एस-12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
14	. एस-13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
15	एस-14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
16	एस-15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (समूह 'क' प्रविष्टि)	वेतन बेंड-3	15600-39100	5400
18	एस-16	9000	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
19	एस-17	9000-275-9550	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
20	एस-18	10325-325-10975	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
21	एस-19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
22	एस-20	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
23	एस-21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
24	एस-22	12750-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
25	एस-23	12000-375-18000	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
26	एस-24	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
27	एस-25	15100-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
28	एस-26	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
29	एस-27	16400-450-20900	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
30	एस-28	14300-450-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
31	एस-29	18400-500-22400	वेतन बेंड-4	37400-67000	10000
32	एस-30	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
33	एस-31	22400-600-26000	एच.ए.जी.+	75500- (वार्षिक	शून्य
			वेतनमान	वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत) -	

. .

10

4 1**886**81 (Providence)

a fatur u fatur (

				80000	
34	एस-32	24050-650-26000	एच.ए.जी.+ वेतनमान	75500- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत) - 80000	शून्य
35	एस-33	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य
36	एस-34	30000 (नियत)	मंत्रिमंडल सचिव	90000 (नियत)	शून्य

खण्ड - II

दिनांक 01.01.2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती रिक्रूटों के लिए संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल				
1,800	5,200	7,000				
1,900	5,830	7,730				
2,000	6,460	8,460				
2,400	7,510	9,910				
2,800	8,560	11,360				

वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए)

वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

(रुपाग में)

1-11111

भाग - ख

कर्मचारियों की कुछ आम श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान

खण्ड - I

- (i) कॉलम (2) में बताए गए पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) तथा (6) में निर्विष्ट संशोधित वेतन ढांचा अनुमोदित किया गया है । दिनांक 01.01.2006 की यथा-स्थिति तक वेतन का आरंभिक निर्धारण इस अधिसूचना के नियम 7 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अनुसार किया जाएगा ।
- (ii) पूर्व-संशोधित वेतनमानों यथा- 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमानों के आमेलन के कारण, कुछ पद जो मौजूदा समय में फीडर तथा प्रोन्नति ग्रेडों को बनाते हैं, वे एक ही ग्रेड में आ जाएंगे । इन पदों की कुछ श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशें भाग- ख के खण्ड II में शामिल हैं । जहां तक अन्य पदों का संबंध है, इन तीन वेतनमानों के पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित करना व्यावहारिक नहीं है तो 5000-8000 रुपए तथा 5500-9000 रुपए के वेतनमान में पदों को पी.बी.- 2 वेतन बैंड में अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 7450-11500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समनुरूप 4600 रुपए के ग्रेड वेतन में स्तरोन्नत किए जा रहे 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए । यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले के वेतनमान में पहले के तेतनमान में पहले के त्वतनमान में पहले के साथ आमेलित कर दिया जाना चाहिए ।
- (iii) अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री, दोनों में से किसी एक की न्यूनतम अर्हता वाले 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पदों को भी स्तरोन्नत किया जाना चाहिए तथा 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के संशोधित पी.बी.-2 वेतन बैड के समन्रूप 7450-11500 रुपए के वेतनमान में रखना चाहिए ।
- (iv) 6500-10500 रुपए के वेतनमान में इंजीनिरिंग अथवा विधि में डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखने वाले पदों को स्तरोन्नत किया जाना चाहिए और इन्हें 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड से सादृश्य वेतनमान 7450-11500 रुपए में रखा जाना चाहिए ।
- (V) उपर्युक्त (ii) के मुताबिक, स्तरोन्नयन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाए । उपर्युक्त (iii) तथा (iV) के संबंध में, स्तरोन्नयन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श से किया जाए ।

क्र.	पद	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान	•	न बैंड तथा ग्रेड ोतन	(रपर्म) रिपोर्ट की पैरा सं.
सं.		C C		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	् परास.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	सचिवालय में कार्यरत क	र्मचारी*	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
1	अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव/समकक्ष	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
			8000-13500 (चार वर्ष पूरे करने पर)	वेतन बैंड-3	5400 (चार वर्ष पूरे करने पर)	3.1.9 (सरकार द्वारा संशोधित)
	* यह वेतनमान केवल उन रही थी । ए.एफ.एच. संसदीय कार्य मंत्रालय, पदों को इसी से कवर कि	क्यू.एस.एस./ए.एफ.एच केन्द्रीय सतर्कता आयोग	प्रतब्ध होगा जिनकी सी.ए .क्यू.एस.एस.एस./ आर. 1, संघ लोक सेवा आयोग	बी.एस.एस. सरी	खी सेवाओं तथा	विदेश मंत्रालय,

खण्ड - II

- F

1	3	

I	सचिवालय से बाहर संगठन	ों के कार्यरत कार्योर	नय कर्मचारी			
1	प्रधान लिपिक/सहायक/ आशुलिपिक.ग्रेड II/ समकक्ष	4500-7000 5000-8000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	3.1.14
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II/ व. निजी सचिव/समकक्ष	7500-12000	7500-12000 (नए भर्ती होने वालों के लिए प्रारंभिक ग्रेड)	वेतन बैंड-2	4800	3.1.14
			8000-13500 (चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)		5400 (चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)	
III	असंगठित लेखा संवर्गों से संब पदों के बीच मौजूद सापेक्षता व प्रतिस्थापित वेतन बैंड और ग्रेड	ने बरकरार रखा जाएगा	। उत लेखा संवर्गों से बाहर तथा असंगठित लेखा सं	। लेखा संबंधी पदों वर्गों से संबंधित ले	। तथा मंत्रालयी खा स्टाफ को	3.8.5
IV	कलाकार				<u> </u>	
1	वरिष्ठ कलाकार	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.6
V	कैंटीन स्टाफ					
1.	पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में कैंटीन स्टाफ के पद	लिया जाता है तथा ब	कर्मचारियों को एक बार हु-कौशलयुक्त बना लिय को 1800 रुपए के ग्रेड वे एगा।	या जाता है तो समूह	'घ' में कैंटीन	3.8.7
VI	आरेखण कार्यालय स्टाफ	1				
1	मुख्य ड्राफ्ट्समैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.9
VII	इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसि	ग (ई.डी.पी.) स्टाप	5			
1	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.11
VIII	दमकल स्टाफ					
1	फायरमैन	2610-3540	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	
2	अग्रणी फायरमैन	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	
3	स्टेशन अधिकारी	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	3.8.12
4	सहायक मंडलीय दमकल अधिकारी	5000-8000	6500-10500	बैंड-2	4200	
5	उप मंडलीय दमकल अधिकारी	6500-10500	7450-11500) वेतन बैंड-2	4600	
IX	पुस्तकालय स्टाफ					
1	लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड II एवं रुपए के ग्रेड वेतन के साथ स	I के पदों को उन पर व रंशोधित वेतन बैंड पी.ब	बी1 में आमेलित होकर	रखा जाएगा ।		
2	सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी	6500-10500	7450-11500) वेतन बैंड-2	4600	3.8.13
X	प्रयोगशाला स्टाफ पूर्व-संशोधित समूह 'घ' वेत					
			क्त के की पत्नें को (भ	क्त तौर पर लेखोरेटर	ਜ ਘਟ ਟੋਟ ਸ਼ ਸੇ ਟ	3.8.14

14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

	संशोधित वेतन बैंड पी.बी)	में रखा जाएगा ।				
2	लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
XI	नर्सिंग एवं अर्ध-चिकित्सा	स्टाफ			-	
1	स्टाफ नर्स	5000-8000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3.8.15
2	नर्सिंग सिस्टर	5500-9000	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
3	आहार-विज्ञानी ग्रेड II/पी.टी./ओ.टी. में प्राध्यापक/रेडियोग्राफर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
4	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	6500-10500	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	-
5	उप नर्सिंग अधीक्षक	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	-
6	नर्सिंग अधीक्षक	8000-13500	10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
7	मुख्य नसिंग अधिकारी	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	
XII	छायाकार	<u> </u>		- I I,		.1
1	फोटोग्राफी अटेंडेंट ग्रेड II/पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमान में कोई अन्य पद	2650-4000/ पूर्व-संशोधित समूह 'घ' वेतनमान में कोई अन्य वेतनमान		वेतन बैंड- 1	1800	3.8.16
2	मुख्य छायाकार/समकक्ष	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-	4600	
XIII	मुद्रण स्टाफ			2]
	मुद्रण स्टाफ 6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद	गंशोधित वेतनमान में	7450-11500	वेतन	4600	3.8.18
1		गंशोधित वेतनमान में	7450-11500	<u></u>	4600	3.8.18
1 XIV 1	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्ट्स रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद	वेतन में लिपिकीय संव	वेतन बैंड-2	नत किया जाएगा	3.8.18
XIII 1 XIV 1 XV	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्ट्स रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद	वेतन में लिपिकीय संव	वेतन बैंड-2	नत किया जाएगा	
1 XIV 1 XV	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्ट्स रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद	वेतन में लिपिकीय संव	वेतन बैंड-2	नत किया जाएगा	
1 XIV 1	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि स्टोरकीपिंग स्टाफ वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड]] (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद केया जाना चाहिए ।	वेतन में लिपिकीय संव नहीं है, तो लिपिकीय स	वेतन बैंड-2 र्गि के साथ आमेरि ांवर्ग में उपलब्ध वेतन	तत किया जाएगा ठीक ऊपर के	3.8.19
1 XIV 1 XV 1 XVI	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि स्टोरकीपिंग स्टाफ वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड]] (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष पदों को दिया जाएगा)	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद केया जाना चाहिए ।	वेतन में लिपिकीय संव नहीं है, तो लिपिकीय स	वेतन बैंड-2 र्गि के साथ आमेरि ांवर्ग में उपलब्ध वेतन	तत किया जाएगा ठीक ऊपर के	3.8.19
1 XIV 1 XV	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि स्टोरकीपिंग स्टाफ वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड II (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष पदों को दिया जाएगा) अध्यापक	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद केया जाना चाहिए । 6500-10500 ग्रेड III	वेतन में लिपिकीय संव नहीं है, तो लिपिकीय स 7450-1100 ग्रेड III	वेतन बैंड-2 र्ग के साथ आमेरि ांवर्ग में उपलब्ध वेतन बैंड-2 वेतन	तत किया जाएगा ठीक ऊपर के 4600	3.8.19
1 XIV 1 XV 1 XVI	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि स्टोरकीपिंग स्टाफ वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड II (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष पदों को दिया जाएगा) अध्यापक	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड ई सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद केया जाना चाहिए । 6500-10500 ग्रेड III 4500-7000 ग्रेड II	वेतन में लिपिकीय संव नहीं है, तो लिपिकीय स 7450-1100 ग्रेड III 6500-10500 ग्रेड II	वेतन बैंड-2 र्ग के साथ आमेति ंवर्ग में उपलब्ध वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	त किया जाएगा ठीक ऊपर के 4600 4200	3.8.19
1 XIV 1 XV 1 XVI	6500-10500 रुपए के पूर्व स प्रिंटिंग स्टाफ के पद रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को न । यदि लिपिकीय संवर्ग में कोइ ग्रेड वेतन में उनका आमेलन वि स्टोरकीपिंग स्टाफ वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड II (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष पदों को दिया जाएगा) अध्यापक	सादृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड { सादृश्य ग्रेड वेतन मौजूद केया जाना चाहिए । 6500-10500 ग्रेड III 4500-7000 ग्रेड II 5500-9000 ग्रेड I	वेतन में लिपिकीय संव नहीं है, तो लिपिकीय स 7450-1100 ग्रेड III 6500-10500 ग्रेड II 7450-11500 ग्रेड I	वेतन बेंड-2 र्ग के साथ आमेरि वंतर्ग में उपलब्ध द वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन	तत किया जाएगा डीक ऊपर के 4600 4200 4600	3.8.19

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

i i kon per di

नातकोत्तर अध्यापक	ग्रेड 7500-12000 ग्रेड 6500-10500	ग्रेड 8000-13500 ग्रेड	वेतन बैंड-2	5400	3.8.22
नातकोत्तर अध्यापक	ग्रेड III				
नातकोत्तर अध्यापक		ग्रड ।।।		4000	
	6500-10500		वेतन	4800	
		7500-12000	बैंड-2		
	-> TT	$\rightarrow - 11$	वेतन	5400	
	ग्रेड II	ग्रेड II	वतन बेंड-3	5400	
	7500-12000	8000-13500	ଷ୍ଟ-୦		
	ग्रेड [ग्रेड I	वेतन	6600	
	1			0000	
				5400	
प प्रधानाचाय			1	.,400	
	/500-12000	8000-15500	45-0		
	ਸੇ ਵ ।	गेट	वेतन	6600	
	1			0000	
				7600	
ાયાનાંચાય	10000-15200	12000-10500	1 1	7000	
mar anter anti / manar	10000 15200	12000-16500		7600	3.8.24
	10000-15200	12000-10500	1	1000	
शक्षा निदशक#	- फिल्म निवेषान के गत -	ग फिल्म निरेपास के गट	s	त किए जाते हैं।	<u> </u>
+ । शक्षा आधकारा/ सहायव	०। राषा । गपराफ फ भप र				
ाण निकित्यक					
o					·····
	पैरा वेटेरेनरी अटेंडेंट्स	/कम्पाउंडर् के साथ समूह	'घ' पदों को उन	क समुचित	
समूह 'घ' पद) रुपए के ग्रेड वेतन के स	थ संशोधित वेत	नि बेड पी.बी	
	1 में रखा जाता है				
					1
6500-10500 रुपए के		1			
				1400	
पूर्व संशोधित वेतनमान में	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	2.9.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में	6500-10500	7450-11500		4600	3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी			बैंड-2		3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी	भारतीय पश्चिकित्सा	परिषद में पंजीकरण के स	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा	में स्नातक एवं	3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ	परिषद में पंजीकरण के स परिषद वें देरेनरी अधि	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी	3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ	परिषद में पंजीकरण के स	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी	3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ	परिषद में पंजीकरण के स परिषद वें देरेनरी अधि	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी	3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी वर्कशॉप स्टाफ	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ चिकित्सा अधिकारियों	परिषद में पंजीकरण के स परिषद वोले वेटेरेनरी अधि तथा दंत चिकित्सकों के स्	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी एगा	3.8.25
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ	परिषद में पंजीकरण के स परिषद वें देरेनरी अधि	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा गमतुल्य रखा जा	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी	
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी वर्कशॉप स्टाफ अकुशल	भारतीय पशुचिकित्सा भ ए.एच. की अपेक्षित उ चिकित्सा अधिकारियों 2550-3200	परिषद में पंजीकरण के स पाधि वाले वेटेरेनरी अधि तथा दंत चिकित्सकों के र 2750-4400	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा गमतुल्य रखा जा वेतन बेंड-1	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी एगा 1800	
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी वर्कशॉप स्टाफ	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ चिकित्सा अधिकारियों	परिषद में पंजीकरण के स परिषद वोले वेटेरेनरी अधि तथा दंत चिकित्सकों के स्	बैंड-2 श्य पशुचिकित्सा कारियों को सामा ममतुल्य रखा जा वेतन बैंड-1 वेतन	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी एगा	
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी वर्कशॉप स्टाफ अकुशल अर्द्ध-कुशल	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ चिकित्सा अधिकारियों 2550-3200 2650-4000	परिषद में पंजीकरण के स पाधि वाले वेटेरेनरी अधि तथा दंत चिकित्सकों के स 2750-4400 2750-4400	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा गमतुल्य रखा जा वेतन बेंड-1 बेतन बेंड-1	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी एगा <u>1800</u> *	
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी वर्कशॉप स्टाफ अर्कुशल अर्द्ध-कुशल सहायक शॉप अधीक्षक	भारतीय पशुचिकित्सा भ ए.एच. की अपेक्षित उ चिकित्सा अधिकारियों 2550-3200	परिषद में पंजीकरण के स पाधि वाले वेटेरेनरी अधि तथा दंत चिकित्सकों के र 2750-4400	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा ममतुल्य रखा जा वेतन बैंड-1 बेतन बेंड-1 वेतन	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी एगा 1800	3.8.27
पूर्व संशोधित वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी वेटेरेनरी अधिकारी वर्कशॉप स्टाफ अकुशल अर्द्ध-कुशल	भारतीय पशुचिकित्सा ए.एच. की अपेक्षित उ चिकित्सा अधिकारियों 2550-3200 2650-4000	परिषद में पंजीकरण के स पाधि वाले वेटेरेनरी अधि तथा दंत चिकित्सकों के स 2750-4400 2750-4400	बैंड-2 थ पशुचिकित्सा कारियों को सामा गमतुल्य रखा जा वेतन बेंड-1 बेतन बेंड-1	में स्नातक एवं न्य ड्यूटी एगा <u>1800</u> *	3.8.27
	ग्र्शु चिकित्सक रेग वेटेरेनरी अटेंडेंट के समूह 'घ' पद	7500-12000 ग्रेड I 8000-13500 धानाचार्य 10000-15200 शक्षा अधिकारी/ सहायक शक्षा निदेशक# शिक्षा अधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक के पद र राष्ट्रा चिकित्सक रिय वेटेरेनरी अटेंडेंट के	प प्रधानाचार्य ग्रेड II ग्रेड II 7500-12000 8000-13500 ग्रेड I ग्रेड I 8000-13500 10000-15200 थानाचार्य 10000-15200 12000-16500 शक्षा जिदेशक# मे शिक्षा अधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक के पद उप शिक्षा निदेशक रेश्का जिदेशक स्था जिदेशक स्था जिदेशक पेरा वेटेरेनरी अटेंडेंट के पेरा वेटेरेनरी अटेंडेंट्स/कम्पाउंडर के साथ समूह प्रशिक्षण के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के स 1 में रखा जाता है	प प्रधानाचार्य ग्रेड II ग्रेड II वेतन 7500-12000 8000-13500 बैंड-3 ग्रेड I ग्रेड I वेतन 8000-13500 10000-15200 बैंड-3 1धानाचार्य 10000-15200 12000-16500 वेतन बैंड-3 रोक्षा अधिकारी/ सहायक 10000-15200 12000-16500 वेतन रोक्षा निदेशक# 10000-15200 12000-16500 वेतन रोक्षा निदेशक# वैंड-3 रेशिक्षा अधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक के पद उप शिक्षा निदेशक के पद के साथ आमेलि राशु चिकित्सक रेशि वेटेरेनरी अटेंडेंट के पैरा वेटेरेनरी अटेंडेंट्स/कम्पाउंडर के साथ समूह 'घ' पदों को उन् तमूह 'घ' पद प्रशिक्षण के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेत	प प्रधानाचार्य $\ddot{1}$ प्रेड II $\ddot{1}$ प्रेड II $\ddot{1}$ वेतन 5400 $\ddot{1}$ प्रधानाचार्य $\ddot{1}$ प्रेड I $\ddot{1}$ वेतन 6600 $\ddot{1}$ $\ddot{1}$

XIX	संगठित लेखा संवर्ग*					
1	अनुभाग अधिकारी	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.56.9
2	सहायक लेखा/ लेखापरीक्षा अधिकारी	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.56.9
3	लेखापरीक्षा/ लेखाधिकारी	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-2	5400	7.56.9
4	वरिष्ठ लेखापरीक्षा/	8000-13500	8000-13500	वेतन	5400	7.56.9

THE GAZETTE	OF INDIA : EXTR	AORDINARY

लेखाधिकारी		बैंड-3	[]
*भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा वि	वभाग के कर्मचारियों पर भी लागू		

भाग - ग

मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कुछ पदों के लिए संशोधित वेतन ढांचा

खण्ड - I

- (i) कॉलम (2) में बताए गए पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) तथा (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन ढांचा अनुमोदित किया गया है । दिनांक 01.01.2006 को यथा-स्थिति तक वेतन का आरंभिक निर्धारण इस अधिसूचना के नियम 7 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अनुसार किया जाएगा ।
- (ii) पूर्व-संशोधित वेतनमानों यथा- 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमानों के आमेलन के कारण, कुछ पद जो मौजूदा समय में फीडर तथा प्रोत्नति ग्रेडों को बनाते हैं, वे एक ही ग्रेड में आ जाएंगे । इन पदों की कुछ श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशें भाग- ग के खण्ड II में शामिल हैं । जहां तक अन्य पदों का संबंध है, इन तीन वेतनमानों के पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित कर देना चाहिए । यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित करना व्यावहारिक नहीं है तो 5000-8000 रुपए तथा 5500-9000 रुपए के वेतनमान में पदों को पी.बी.- 2 वेतन बैंड में अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 7450-11500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समनुरूप 4600 रुपए के ग्रेड वेतन में स्तरोन्नत किए जा रहे 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए । यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए । यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए ।
- (iii) अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री, दोनों में से किसी एक की न्यूनतम अर्हता वाले 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पदों को भी स्तरोन्नत किया जाना चाहिए तथा 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के संशोधित पी.बी.-2 वेतन बैंड के समनुरूप 7450-11500 रुपए के वेतनमान में रखना चाहिए।
- (iv) 6500-10500 रुपए के वेतनमान में इंजीनिरिंग अथवा विधि में डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखने वाले पदों को स्तरोन्नत किया जाना चाहिए और इन्हें 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड से सादृश्य वेतनमान 7450-11500 रुपए में रखा जाना चाहिए ।
- (V) उपर्युक्त (ii) के मुताबिक, स्तरोन्नयन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाए । उपर्युक्त (iii) तथा (iv) के संबंध में, स्तरोन्नयन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श से किया जाए ।

1

FREE AL

a.

खण्ड - II

कॉलम 2 में निर्दिष्ट पदों के लिए अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) और (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन संरचना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ।

						(रुपए में
क्र.		मौजूदा	संशोधित		वेतन बैंड ड वेतन	रिपोर्ट की
सं.	पद	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पैरा संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कृषि मं	ंत्रालय					
1	वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.5
2	के़न्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.6
3	दिल्ली दुग्ध योजना में प्रबंधक (प्रापण/प्रक्रियण/गुणता नियंत्रण/ वितरण)	10000-15200	12000- 16500	वेतन बैंड-3	7600	7.1.7
4	दिल्ली दुग्ध योजना में वरिष्ठ डेयरी इंजीनियर	10000-15200	12000- 16500	वेतन बैंड-3	7600	7.1.7
5	मत्स्य पालन सर्वे ऑफ इंडिया में कनिष्ठ मत्स्यपालन वैज्ञानिक ग्रेड I और ग्रेड II (पद आमेलित होते हैं)	ग्रेड I 7500-12000 ग्रेड II 6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.1.12
6	कपास विकास निदेशालय में सहायक निदेशक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.20
7	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी में वरिष्ठ बीज विश्लेषक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.1.22
8	उत्तरीय क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में वरिष्ठ अनुदेशक	6500-10500	7450-11500	ं वेतन बैंड-2	4600	7.1.24
	एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग मेल मोटर सर्विस में तकनीकी पर्यवेक्षक	4500-7000	5000-8000	वेतन बेंड-2	4200	7.6.8
2	मेल मोटर सर्विस में कारीगर ग्रेड I	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1-	2800	7.6.8
3.	सहायक निदेशक (भर्ती)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.9
4	सहायक अधीक्षक पोस्ट ऑफिस (ए.एस.पी.ओ)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.14
5	अधीक्षक (डाक)	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.6.14
			8000-13500 (चार साल बाद)	वेतन बैंड-2	5400	
6	सहायक प्रबंधक, मेल मोटर सर्विस	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.6.14
7	उप प्रबंधक, मेल मोटर सर्विस	6500-10500	7500-12000	वेतन	4800	7.6.14

18

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

	· ·			• बैंड-2		
8	उच्च चयन ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	7.6.15
			/ 150 11500	बैंड-2	+000	7.0.15
9	डाकिया	3050-4590	3200-4900	अड-2 वेतन	2000	7.6.17
-		5050-4590	3200-4900	वैंड-1	2000	/.0.1/
10	रेलवे मेल सेवा में मेलगार्ड	3050-4590	3200-4900	वेतन	2000	7.6.17
				बैंड-1	2000	
11	अनुवाद अधिकारी (प्रेंच)	6500-10500	7500-12000	वेतन	4800	7.6.18
				बैंड-2		
उपभं	क्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मं	त्रालय				
1	शर्करा निदेशालय में तकनीकी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.12.13
कारण	ोरेट कार्य मंत्रालय				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1	कम्पनी अभियोक्ता ग्रेड II और ग्रेड	ग्रेड II	7450-11500	वेतन	4600	7.8.5
	III	6500-10500		बैंड-2		
		ग्रेड III				
		5500-9000				
2	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.8.6
3	गंभीर जालसाजी अन्वेषण संगठन में सहायक	6500-10500	7500-12000	वेतन	4800	7.8.10
	निदेशक			बैंड-2		
H (91						
	ति मंत्रालय पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	7.9.5
1	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग			बैंड-2		
1	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक,	6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन	4600 4600	7.9.5
1	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	6500-10500	7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
1	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व			बैंड-2 वेतन		
1 2 3	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट	6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600	7.9.5
1 2 3	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व	6500-10500	7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600	7.9.5
1 2 3 4	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर	6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600	7.9.5
1 2 3 4	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5
1 2 3 4 5	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5
1 2 3 4 5	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600 4600 4600	7.9.5
1 2 3 4 5 6	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विभाग	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 5500-9000	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8
1 2 3 4 5 6	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5
1 2 3 4 5 7	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 5500-9000 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.4
1 2 3 4 5 7	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 5500-9000	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5
1 2 3 4 5 7	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 5500-9000 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.4
1 2 3 4 5 6 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्वतेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16
1 2 3 4 5 6 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 5500-9000 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.4
1 2 3 4 5 6 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 7 8 8 9 9 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्वतेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 रक्षा 1	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्वतेता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में माइक्रोफोटोग्राफिस्ट मंत्रालय वेभाग मशीनमैन/ऑपरेटर ऑफसेप्ट	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16 7.9.18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 8	पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरातत्ववेत्ता ग्रेड में सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातत्व केमिस्ट संरक्षण संवर्ग में सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायक अधीक्षक, पुरातत्व इंजीनियर बागवानी इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वरिष्ठ सर्वेक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय में उप क्यूरेटर 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान और 5500-9000 रुपए के मौजूदा फीडर पद वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार में पद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600	7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.8 7.9.14 7.9.16 7.9.18

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

L

1

J.

4 J

a a englesi f^{ant}

[भाग II—खण्ड 3(i)]

.

भारत का राजपत्र : असाधारण

3	सेना स्कूलों में मास्टर गेजेटिड	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	7.10.21
तटरक्ष	ाक संगठन (सामान्य ड्यूटी शाखा)					
4	नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.10.26
5	उत्तम नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.10.26
6	प्रधान नाविक	3200-4900 + विशेष वेतन 50 रुपए	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.10.26
7	उत्तम अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
8	प्रधान अधिकारी	6500-10500+ विशेष वेतन 200 रुपए	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.10.26
तटरक्ष	नक संगठन (घरेलू शाखा)					
9	नाविक	2750-4400	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	7.10.26
10	उत्तम नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.10.26
11	प्रधान नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.10.26
12	प्रधान अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
तटरक्ष	रक संगठन (विमानन शाखा)					
13	नाविक	3050-4590	.3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.10.26
14	उत्तम नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.10.26
15	प्रधान नाविक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.10.26
16	उत्तम अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
17	प्रधान अधिकारी	6500- 10500+विशेष वेतन 200 रुपए	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.10.26
तटरक्ष	सक संगठन (तकनीकी शाखा)					
18	उत्तम इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.26
19	प्रधान इंजीनियर	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.10.26
रक्षा उ	उत्पादन विभाग					
20	डी.जी.क्यू.ए. में सहायक लेखा अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन वैंड-2	4600	7.10.33

.19

i.

[PART II-SEC. 3(i)]

21	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में परीक्षक ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.35
22	डी.आर.डी.ओ. में वरिष्ठ तकनीकी सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.10.39
भू-वि	कान मंत्रालय					
1	सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्सिस एंड इकोलॉजी, कोच्ची में तकनीकी सहायक	4500-7000	6500-10000	वेतन बैंड-2	4200	7.12.7
पर्याव	गरण एवं वन मंत्रालय	1	-	I	L	
1	भारत के प्राणी उद्यान सर्वेक्षण विभाग में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.13.9
विदेश	ग मंत्रालय	L - 17			-	
1	सुरक्षा गार्ड	केन्द्रीय औद्योगिक स् उच्चतर वेतनमान वि	एक्सा बल में सदृश पद देश मंत्रालय में सुरक्षा	ों के लिए यथ गाडों को दिख	ग-संस्तुत ग जाएगा	7.14.4
2	अधीक्षक, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.14.5
वित्त आधि	मंत्रालय क कार्य विभाग		7450-11500	वेतन बेंड-2	4600	<u></u>
वित्त	मंत्रालय	6500-10500 7450-11500		वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन		7.14.5
वित्त आधि	मंत्रालय क कार्य विभाग		7450-11500 7500-12000 8000-13500	वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-3 वेतन	4600	
वित्त आधि 1	मंत्रालय कि कार्य विभाग अनुभाग अधिकारी (छोड़ दिया गया है)	7450-11500	7450-11500 7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद)	वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-3	4600 4800 5400	7.15.3
वित्त आधि 1	मंत्रालय कि कार्य विभाग अनुभाग अधिकारी (छोड़ दिया गया है) सरकारी टकसाल में सहायक श्रेणी]] भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट	7450-11500 3050-4590	7450-11500 7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद) 3200-4900	वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-3 वेतन बेंड-1 वेतन	4600 4800 5400 2000	7.15.3
वित्त आधि 1	मंत्रालय कि कार्य विभाग अनुभाग अधिकारी (छोड़ दिया गया है) सरकारी टकसाल में सहायक श्रेणी]] भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में पर्यवेक्षक भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट	7450-11500 3050-4590 6500-10500	7450-11500 7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद) 3200-4900 7450-11500	वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-1 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन	4600 4800 5400 2000 4600	7.15.3 7.15.5 7.15.7
वित्त आधि 1	मंत्रालय कि कार्य विभाग अनुभाग अधिकारी (छोड़ दिया गया है) सरकारी टकसाल में सहायक श्रेणी]] भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में पर्यवेक्षक भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में उप नियंत्रक अधिकारी भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट	7450-11500 3050-4590 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद) 3200-4900 7450-11500 7450-11500	वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-1 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन	4600 4800 5400 2000 4600 4600	7.15.3 7.15.5 7.15.7 7.15.7
वित्त आधि 1 2 3	 मंत्रालय क कार्य विभाग अनुभाग अधिकारी (छोड़ दिया गया है) सरकारी टकसाल में सहायक श्रेणी II भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में पर्यवेक्षक भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में उप नियंत्रक अधिकारी भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में उप नियंत्रक अधिकारी भारतीय सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में वर्क इंजीनियर 	7450-11500 3050-4590 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7500-12000 8000-13500 (चार साल बाद) 3200-4900 7450-11500 7450-11500 7450-11500	वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-1 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2 वेतन बेंड-2	4600 4800 5400 2000 4600 4600 4600	7.15.3 7.15.5 7.15.7 7.15.7 7.15.7

20

ſ

राजस्य	त्र विभाग					
9	आयकर अधिकारी/अधीक्षक/मूल्य निरूपक आदि (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद	7500-12000	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7.15.17
	श्(लंक)		8000-13500	46-2	5400	
			(चाल साल	वेतन	5400	
			बाद)	बैंड-2		
10	नोटिस सर्वर	3050-4590	3200-4900	वेतन	2000	7.15.18
				बैंड-1	2000	
म्वास्थ	य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
1	चिकित्सा पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य परिदर्शक	4000-6000	4500-7000	वेतन	2800	7.17.11
				बैंड-1		
गृह मं	त्रालय					
1	आर.जी.आई. में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड I	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.9
2	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में अपर डी.आई.जी.	14300-18300	16400-20000	वेतन बैंड-4	8900	7.19.33
3	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में कांस्टेबल	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.19.35
4	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में हैड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	<u>बड-।</u> वेतन	2400	7.19.35
•		.7200-4900	4000-0000	पतन बैंड-1	2400	1.19.5.
5	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.19.35
5	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में निरीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.35
7	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सूबेदार मेजर	6500-	7500-12000	वेतन	4800	7.19.35
		10500+200		बैंड-2		
		रुपए प्रतिमाह				
8	दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल	3050-4590	3200-4900	वेतन	2000	7.19.50
				बैंड-1		
9	दिल्ली पुलिस में हैड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	वेतन	2400	7.19.50
10		1000 (000	1500 5000	बैंड-1		
10	दिल्ली पुलिस में सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.19.50
11	दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.50
12	आसूचना ब्यूरो में सुरक्षा सहायक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.19.62
13	आसूचना ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना	3200-4900	4000-6000	वेतन	2400	7.19.62
	अधिकारी ग्रेडे II			बैंड-1	_	
14	आसूचना ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी ग्रेड I	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.19.62
15	आसूचना ब्यूरो में ए.सी.आई.ओ ।	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.19.62
16	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में वरिष्ठ	6500-10500	7450-11500	<u> </u>	4600	7.19.68
	अन्वादक	0000,10000	1.50 11500	पतन बैंड-2	+000	1.17.00
17	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सहायक	7500-12000	8000-13500	वेतन	5400	7.19.68
	निदेशक (रा.भा.)		1	बैंड-3	2100	1

THE GAZ	ETTE OF INDIA :	EXTRAORDIN	IARY	
	(200 10200		<u> </u>	

[PART II-SEC. 3(i)]

18	दानिक्स (डी.ए.एन.आई.सी.एस.) दानिप्स	6500-10500	7500-12000	वेतन	4800	7.19.51
	(डी.ए.एन.आई.पी.एस.) पांडिचेरी सिविल			बैंड-2		7.19.68
	सेवा और पांडिचेरी पुलिस सेवा में प्रारंभिक ग्रेड		8000-13500		5400	
	25		(चार साल बाद)	वेतन बैंड-3		
सूचन	ग एवं प्रसारण मंत्रालय		- <u></u>	.		J
1	डी.ए.वी.पी. में तकनीकी सहायक (विज्ञापन)	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	7.22.6
				बैंड-2		
2	डी.ए.वी.पी. में सहायक उत्पादन प्रबंधक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.8
3	डी.ए.वी.पी. में सहायक वितरण अधिकारी/ सहायक मीडिया कार्यपालक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.8
4	प्रकाशन विभाग में सहायक विपणन प्रबंधक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.22.12
5	फिल्म प्रभाग में कारपेंटर	3050-4590	3200-4900	 वेतन बैंड-1	2000	7.22.14
0TTT T	्व रोजगार मंत्रालय			49-1	<u> </u>	I
24						
1	वरिष्ठ रोजगार अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.4
2	डी.जी.एम.एस. में विधि अधिकारी ग्रेड 🛮	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.11
3	डी.जी.एम.एस. में विधि सहायक (विधि	5500-9000	7450-11500	<u>षड-2</u> वेतन	4600	7.23.11
	अधिकारी ग्रेड II के पद के साथ आमेलन होना है)			बैंड-2		
4	श्रण ब्यूरो में श्रम प्रवर्तन अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.23.14
विधि	एवं न्याय मंत्रालय					L
1	सहायक (विधि)	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	7.24.12
• 			7450-11500	वेंड-2	4000	1.24.12
खान						
	मंत्रालय					
1	मंत्रालय) आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ) गानिक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.26.5
	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ	6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन	4600	7.26.5
2	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैं इ 11निक			बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन		
2	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ 11निक आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञ	6500-10500	7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600	7.26.5
2 3 4	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ 11निक आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी	6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600	7.26.5
2 3 4 कार्मि	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ 11निक आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञ 11निक अधिकारी क, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेल न बैंड-2	4600 4600 4600	7.26.5 7.26.5 7.26.11
2 3 4 कार्मि 1	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ गानिक आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञ गानिक अधिकारी क, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भाषा अनुदेशक	6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7500-12000	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2	4600 4600 4600 4800	7.26.5
2 3 4 कार्मि 1	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ् 11निक आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञ् 11निक अधिकारी क, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भाषा अनुदेशक आई.एस.टी.एम. में सहायक निदेशक	6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेलन बैंड-2 बेतन	4600 4600 4600	7.26.5 7.26.5 7.26.11
1 2 3 4 कार्मि 2 3	आई.बी.एम. में सहायक खनन भू-वैज्ञ गानिक आई.बी.एम. में सहायक कैमिस्ट आई.बी.एम. में खनिज अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैज्ञ गानिक अधिकारी क, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भाषा अनुदेशक	6500-10500 6500-10500 6500-10500	7450-11500 7450-11500 7450-11500 7500-12000	बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन बैंड-2 वेतन	4600 4600 4600 4800	7.26.5 7.26.5 7.26.11 7.32.10

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

n provinsk star i national star provinska star provinska star provinska star provinska star provinska star provi

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

			1	बैंड-1	r	<u> </u>
5	सी.बी.आई. में सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	बड-1 - वेतन	2800	7.32.18
((200 10 200		बैंड-1		
6	सी.बी.आई. में निरीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.32.18
विद्युत	1 मंत्रालय					
1	व्यावसायिक/सांख्यिकीय सहायक	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.35.2
	नरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राल सड़क संगठन	ग य				
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में तकनीकी सहायक, सहायक इंजीनियर और मुख्य ड्राफ्ट्मैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.39.20
2	सीमा सड़क संगठन में ओवरसियर (अधीक्षक बी.आर. ग्रेड II की पदोत्रति वाले पद के साथ आमेलन होना है)	3200-4900	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.39.22
3	सिविल इंजीनियरिंग और इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल संवर्ग में अधीक्षक ग्रेड II	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.39.23
4	फोरमैन अधीक्षक (अग्नि)	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.39.28
सामार्ग 1	जिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में वरिष्ठ अन्वेषक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.40.4
	यकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
l	सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड II (सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड I पद के साथ आमेलन होना है)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.41.5
वस्त्र ग	मंत्रालय		1			<u>1</u>
	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में सहायक निदेशक (तकनीकी)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.43.11
	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.43.11
	विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में सहायक निदेशक (हथकरघा)	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.43.13
गहरी	विकास मंत्रालय					
	सी.पी.डब्ल्यू.डी. (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) की इंजीनियरिंग विंग में सहायक इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.12
	सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बागवानी विंग में सहायक निदेशक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.17
	सी.पी.डब्ल्यू.डी. की ड्रॉइंग विंग में	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.46.23
	तकनीकी अधिकारी		ļ [બહ-૮		1
 	तकनीकी अधिकारी संपदा निदेशालय में विधि सहायक	5500-9000	7450-11500	बेड-2 वेतन बैंड-2	4600	7.46.27

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

			LATICAORDI			
	के पद के साथ आमेलन होना है)			बैंड-2		
जल सं	साधन मंत्रालय	· · · ·				
1	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन में अधीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.47.6
2	केन्द्रीय जले आयोग में सहायक निदेशक ग्रेड II	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.47.8
महिला	। एवं बाल विकास मंत्रालय		I	h		ARuu =
1	निदर्शन अधिकारी ग्रेड I/वरिष्ठ तकनीकी	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	7.48.5
	सहायक/कैमिस्ट			बैंड-2		
संघ ले	ोक सेवा आयोग					
1	संपदा प्रबंध एवं बैठक अधिकारी, कनिष्ठ विश्लेषक, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, अधीक्षक (डी.पी.), स्वागत अधिकारी, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, डाटा प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग सहायक और अधीक्षक (टाइपिंग)	6500-10500	7450-11500	वेतन बेंड- 2	4600	7.53.6
	य लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	(200 10700			L	7.5(12
1	विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड II	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड- 2	4600	7.56.13
2	विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड I	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड- 2	4800	7.56.13
3	वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड- 3	5400	7.56.13
संघ श	गासित क्षेत्र					
1	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित में कांस्टेबल (इस समय 3050-4590 रुपए के वेतनमान से नीचे के वेतनमान के कांस्टेबलों को 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी. I के साथ रखा गया है)	3050-4590	3200-4900	वेतन बेंड-1	2000	7.57.6
2	दिल्ली को छोड़कर सघ शासित क्षेत्रों के हेड कांस्टेबल	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.57.6
3	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्रों के सहायक उप निरीक्षक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.57.6
4	दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्रों के निरीक्षक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.6
5	वन गार्ड/वन संरक्षक बल	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.57.7
6	हैड वन गार्ड	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.57.7
7	वन दरोगा/समतुल्य पद	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7.57.7
8	तहसीलदार	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.11

24

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

n para a na para a polo polo polo polo polo para p

	संघ शासित प्रदेश दिल्ली में पुरातत्व इंजीनियर	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.15
)	पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार में बागवानी	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.16
	सहायक पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार में संरक्षक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.16
2	सहायक पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार में सर्वेक्षक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.16
3	राजस्व एवं विकास विभाग संघ शासित प्रदेश दिल्ली में बागवानी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
4	दिल्ली में बागवानी सहायफ राजस्व एवं विकास विबाग, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में तकनीकी सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
5	राजस्व एवं विकास विभाग, संघ शासित क्षेत्र देल्ली में वनस्पति संरक्षक सहायक	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
6	विल्ला में वनस्थात संरक्षक संरायक राजस्व और विकास विभाग में विस्तार अधिकारी	4500-7000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	7.57.17
7	आधकारा ्रग्राम स्तर के कार्यकर्ता	3200-4000	4000-6000	वेतन बैंड-2	2400	7.57.17
8	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में परियोजना अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतंन बैंड-2	4600	7.57.25
9	आवकारी संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.29
20	लोक अभियोजक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7:57.30
21	मछला उद्योग के सहायक निदशक (निछला) उद्योग के उप निदेशक के पद के साथ आमेलन होना है)		7400 11000	बैंड-2		
21	मछली उद्योग के सहायक निदेशक (मछली		7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.47
22	जामलन होने ह) फायरमैन	2610-4000	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	7.57.4
संघ 23	शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समू संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पटवारीं और पदनाम पर ध्यान दिए बगैर अन्य संघ शासित प्रदेशों में भी पटवारी	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7.57.6
संघ	शासित प्रदेश पुदुचेरी			<u> </u>		
	शासित प्रदेश पुदुचेरी अनुवादक, विधि विभाग	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	
24	अनुवादक, विधि विभाग रिपोर्टर, सूचना विभाग (उप संपादक के पद	4500-7000 4000-6000	5000-8000 4500-7000	बैंड-2 वेतन बैंड-1	2800	7.57.0
24 25	अनुवादक, विधि विभाग रिपोर्टर, सूचना विभाग (उप संपादक के पद के साथ आमेलन किया जाना है) ओवरसीयर ग्रेड I, स्थानीय प्रशासनिक			बैंड-2 वेतन बैंड-1 वेतन बैंड-2	2800 4200	7.57.0
संघ 24 25 26 27	अनुवादक, विधि विभाग रिपोर्टर, सूचना विभाग (उप संपादक के पद के साथ आमेलन किया जाना है)	4000-6000	4500-7000	बैंड-2 वेतन बैंड-1 वेतन	2800	7.57.6
24 25 26	अनुवादक, विधि विभाग रिपोर्टर, सूचना विभाग (उप संपादक के पद के साथ आमेलन किया जाना है) ओवरसीयर ग्रेड I, स्थानीय प्रशासनिक विभाग	4000-6000 4500-7000	4500-7000 5000-8000	बैंड-2 वेतन बैंड-1 वेतन बैंड-2 वेतन	2800 4200	7.57.0

. •

3255 GI/08-4

	विभाग		T	.बैंड-2		
30	ओवरसीयर, लोक निर्माण विभाग	4000-6000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7.57.77
31	मलजल विश्लेषक, लोक निर्माण विभाग (बायोकेमिस्ट के पद के साथ आमेलन किया जाना है)	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7.57.77
32	बायो-कैमिस्ट	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	• 7.57.77
33	फील्डमैन, पशुपालन विभाग	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7.57.79

दूसरी अनुसूची

विकल्प फार्म

[नियम _____ देखें]

- *(i) मैं ______ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता हं ।
- *(ii) मैं ______ मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिए गए के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूं जब तक कि:-

* मेरी अंगली वेतनवृद्धि की तारीख

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख जिससे मेरे वेतन

..... रुपए हो जाए ।

में, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूं/छोड़ दूं ।

मौजूदा वेतनमान ______

हस्ताक्षर _____

नाम _____

1 E

I.

A FRANK REPORTED FOR THE REPORT OF A

पदनाम_____

कार्यरत कार्यालय का नाम_____

दिनांक:

स्टेशन:

* यदि लागू न हो, तो काट दिया जाए ।

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

(संशोधित वेतन) नियमावली, 2008

नियम 1 - यह नियम स्वत: स्पष्ट है ।

नियम 2 - यह नियम उन कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध करता हैं जिन पर यह लागू होगा । खण्ड (2) में वर्गीकृत श्रेणियों को छोड़कर राष्ट्रपति के अधिकार में आने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो असैनिक प्राक्कलन से भुगतान प्राप्त करने वाले विभागों में कार्यरत हैं । यह रेल मंत्रालय तथा रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान प्राप्त कर रहे असैनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए संबंधित मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे । यह नियम डाक विभाग में प्रामीण डाक सेवकों पर भी लागू नहीं होगा । तथापि, यह कार्य प्रभारित संस्थानों पर लागू होगा ।

नियम 3 और 4 - ये नियम स्वत: स्पष्ट हैं।

नियम 5 - इस नियम का अभिप्राय यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत लाया जाए सिवाय उन लोगों के जो मौजूदा वेतनमानों में वेतन आहरित करने का चुनाव करते हैं को मौजूदा वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं उन्हें महंगाई भत्ते की वे किश्तें मिलते रहेंगी जो 01 जनवरी 2006 को लागू थीं और महंगाई भक्त उस कुल परिलब्धि में शामिल माना जाएगा जो पेंशन आदि के लिए उस तारीख से लागू हैं । यदि सरकारी कर्मचारी मौलिक क्षमता के अनुसार स्थायी पद पर काबिज़ है तथा अपने से ऊंचे पद का कार्य निभा रहा है, अथवा उसके प्रतिनियुक्ति आदि पर न होते हुए एक या अधिक पदों का कार्य निभाया हुआ होता तो उसके पास केवल एक वेतनमान के संबंध में मौजूदा वेतनमान में बने रहने का विकल्प होता । ऐसा सरकारी कर्मचारी स्थायी पद अथवा कार्यवाहक पदों में से किसी एक पद पर लागू मौजूदा वेतनमान में बने रह सकता है । शेष पदों के संबंध में उसे संशोधित वेतन संरचना के तहत अनिवार्यत: लाया जाना होगा ।

नियम 6 - यह नियम यह पद्धति विनिर्दिष्ट करता है कि विकल्प का चयन कैसे किया जाए और किस प्राधिकरण को अपने विकल्प से अवगत कराया जाए । अपना विकल्प नियमावली के साथ संलग्न फार्म पर ही उपलब्ध करवाना है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकारी कर्मचारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प चुन ले बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए । अगर इन नियम के अनुपालन के समय कोई सरकारी कर्मचारी देश के बाहर है तो उसे भारत में आकर अपना अधिभार ग्रहण करने की तिथि से तीन महीने की समय-सीमा के अंदर अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना होगा । सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन पदों की संशोदित वेतन संरचना की घोषणा इन नियमों के जारी होने की तारीख के बाद होती है, ऐसी घोषणा की तारीख से तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है ।

जो लोग 01 जनवरी, 2006 और इस नियम के जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी अपना विकल्प चुनने का अधिकार होगा ।

नियम 7(1) - इस नियम का संबंध 01 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से है । नियम 7(1) के नीचे टिप्पणियों के तहत् वेतन-वर्धन की शर्त पर इस उप-नियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारित करने का तरीका दर्शाने वाले कुछ उदाहरण संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं ।

नियम 7(2) - इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में देय नहीं होगा जहां किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने मूल पद के लिए संशोधित वेतनमान का चुनाव किया हो लेकिन कार्यवाहक पद के संबंध में मौजूदा वेतनमान को ही बरकरार रखा हो ।

नियम 8 - यह नियम 01.01.2006 को या इसके बाद नई भर्ती के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की पद्धति को विनिर्दिष्ट करता है ।

नियम 9 और 10 - ये नियम नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि किस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए, का वर्णन करता है । इन नियम के मूल भाग की विसंगतियों के कारण कनिष्ठ कर्मचारी अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे हैं, को इस परन्तुक द्वारा दूर किया जा रहा है और इसके द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय के मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो गतिरोध के कारण मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो वास्तव में तदर्थ आधार पर गतिरोध वेतनवृद्धि पा रहे हैं, का भी ध्यान रखा गया है ।

नियम 11 से 17 - ये नियम स्वत: स्पष्ट हैं ।

[फा. सं. 1/1/2008- आई सी] सुषमा नाथ, सचिव उदाहरण 1: संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	4000-100-6000 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	4800 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रुपए (8930 रुपए में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड पी.बी2 में वेतन	8930 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रुपए
7.	पतन वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2400 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	11330 रुपए

उदाहरण 2 चिकित्सा अधिकारियों की संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	10000-15200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बेंड-3 15600-39100 रुपए
3.	01.01.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन वेतन पर महंगाई वेतन (डी.पी.) + एन.पी.ए. मूल वेतन पर 25 प्रतिशत एन.पी.ए + डी.पी. मूल वेतन पर 24 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता वर्तमान परिलब्धियां	10000 रुपए 6250 रुपए 4063 रुपए 4875 रुपए मूल वेतन का 24 प्रतिशत+डी.पी.+एन.पी.ए. 25188 रुपए (2519 रुपए पूर्णांकित)
4.	मूल वेतन पर 1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के पश्चात वेतन बैंड में संशोधित वेतन	18600 रुपए
5.	एन.पी.ए. पर महंगाई भत्ता	976 रुपए(4063 रुपए का 24 प्रतिशत)
6.	वेतनमान से संबद्ध वेतन बैंड में वेतन	19580 रुपए (18600 + 976) = 19576 पूर्णांकित)
7. 8.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	6545 रुपए 26180 रुपए
9	संशोधित एन.पी.ए.	6545 रुपए

ę

28

E E E E

) ił 21 C (1997)

E (BBEE E CONTRACTOR

site i pro-

\sim
~
L 7

उदाहरण 3

स्थिति 1 : -1एस में समूह 'घ' कर्मचारियों का प्रारंभिक निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	-1एस 4440-7440 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में	5290 रुपए
7.	वेतन वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1300 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	6590 रुपए
<u> </u>	• अलेखिन अर्चन रखने जाने अल्पन गन, प्रक्रिणण के बाद ताले गए।	द 'घ' कान्मिगिगें का निर्धागम

स्थिति 2 : अपेक्षित अर्हता रखने वाले अथवा पुन: प्रशिक्षण के बाद वाले समूह 'घ' कर्मचारियों का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए		
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए		
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए		
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)		
5.	वेतन बैंड पी.बी1 में वेतन	5290 रुपए		
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5530 रुपए		
7.	वतन वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1800 रुपए		
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	7330 रुपए		
<u>उदाहरण 4क</u> : स्तरोन्नत पदों के मामले में वेतन निर्धारण अर्थात् 3050-75-80-4590 रुपए से 3200-85-4900 रुपए के वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान के पद				

1.	मौजूदा वेतनमान	3050-4590 रुपए (1900 रुपए का सादृश्य ग्रेड वेतन)
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	वेतन के वेतनमान में स्तरोन्नत	3200-4900 रुपए (सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 रुपए)
4.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	3125 रुपए
5.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5813 रुपए (5820 रुपए पूर्णांकित)
6.	वेतन बैंड पी.बी2 में वेतन	5820 रुपए

30		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i)]		
	7.	3050-4900 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान में बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	6060 रुपए	
	8.	3200-4900 रुपए के वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2000 रुपए	
	9.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	8060 रुपए	
	उदाह	रण 4ख : उन मामलों में, जहां 5000-8000, 5500-9000 तथ आमेलित किया गया है, वेतन निर्धारण	ा 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमानों को	
	1.	मौजूदा वेतनमान	5000-150-18000	
	2.	लागू वेतन बैंड	पी.बी2 9300-34000 रुपए	
	3.	वेतनमान में आमेलित	6500-200-10500	
	4.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	5600 रुपए	
	5.	1.86 के गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	10416 रुपए (10420 पूर्णांकित)	
	6.	वेतन बैंड पी.बी-2 में वेतन	10420 रुपए	
	7.	बंचिंग के लाभ शामिल करने के बाद वेतन बैंड में वेतन	10420 रुपए	
	8.	6500-200-20500 रुपए में पिछले संलग्न ग्रेड वेतन	4200 रुपए	
	9.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का जोड़ संशोधित वेतन	14620 रुपए	
	उदाहरा	<u>ग 5</u> : संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण		
	1.	वेतन बेंड-2 में वेतन	9300 रुपए	
	2.	ग्रेड वेतन	4200 रुपए	
	3.	वेतन + ग्रेड वेतन का योग	13500 रुपए	
	4.	वेतनवृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत	
	5.	वेतनवृद्धि की राशि	405 रुपए 410 रुपए पूर्णांकित	
	б.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	9300 + 410 रुपए	
	7.	वेतन वृद्धि के बाद वेतन	9710 रुपए	
	8.	लागू ग्रेड वेतन	4200 रुपए	

.

(1) μ = (−, −) μ = (−, −) (−) μ = (−) μ =

MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2008

G.S.R. 622 (E)— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Départment, the President hereby makes the following rules, namely : -

1. Short title and commencement -.

- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. Categories of Government servants to whom the rules apply: -

- (1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union whose pay is debitable to the Civil Estimates as also to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department.
- (2) These rules shall not apply to : -
 - (i) persons appointed to the Central Civil Services and posts in Groups 'A', 'B', 'C' and 'D' under the administrative control of the Administrator of the Union Territory of Chandigarh;
 - (ii) persons locally recruited for service in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
 - (iii) persons not in whole-time employment;
 - (iv) persons paid out of contingencies;
 - (v) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;
 - (vi) persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
 - (vii) persons re-employed in Government service after retirement;

- (viii) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.
- 3. **Definitions** In these rules, unless the context otherwise requires -
 - (1) "existing basic pay" means pay drawn in the prescribed existing scale of pay, including stagnation increment(s), but does not include any other type of pay like 'special pay', etc.
 - (2) "existing scale" in relation to a Government servant means the present scale applicable to the post held by the Government servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the 1st day of January, 2006 whether in a substantive or officiating capacity.
 - **Explanation** In the case of a Government servant, who was on the 1st day of January, 2006 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, "existing scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post;
 - (3) "existing emoluments" mean the sum of (i) existing basic pay, (ii) dearness pay appropriate to the basic pay and (iii) dearness allowance appropriate to the basic pay + dearness pay at index average 536 (1982=100).
 - (4) "present scale" in relation to any post/grade specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against that post in column 3 thereof;
 - (5) "pay in the pay band" means pay drawn in the running pay bands specified in Column 5 of the First Schedule.
 - (6) "grade pay" is the fixed amount corresponding to the pre-revised pay scales/posts.
 - (7) "revised pay structure" in relation to any post specified in column 2 of the First Schedule means the pay band and grade pay specified against that post or the pay scale specified in column 5 & 6 thereof, unless a different revised pay band and grade pay or pay scale is notified separately for that post.
 - (8) "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc.

In the case of Government servants in the pay scales of HAG+, apex scale and the Cabinet Secretary's scale, basic pay means the pay in the prescribed scale.

. J.

1-1111月1日和田

1 1

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

- (9) "revised emoluments" means the pay in the pay band plus the grade pay of a Government servant in the revised pay structure or the basic pay in HAG+ & above and includes the revised non-practising allowance, if any, admissible to him, in addition.
- (10) "Schedule" means a schedule annexed to these rules.

4. *Scale of pay of posts* - The pay band and grade pay or the pay scale, as applicable, of every post/grade specified in column 2 of the First Schedule shall be as specified against it in column 5 & 6 thereof.

5. **Drawal of pay in the revised pay structure** – Save as otherwise provided in these rules, a Government servant shall draw pay in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher pay scale between 1.1.2006 and the date of notification of these Rules on account of promotion, upgradation of pay scale etc., the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation, etc.

- *Explanation* 1 The option to retain the existing scale under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.
- Explanation 2 The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2006, whether for the first time in Government service or by transfer from another post and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.
- Explanation 3 Where a Government servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale under Fundamental Rule 22, or any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. Exercise of Option -

(1) The option under the provisos to Rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to the Second Schedule so as to reach the authority mentioned in sub rule (2) within three months of the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order

3255 GI/08-5A

made subsequent to that date, within three months of the date of such order.

Provided that -

- (i) in the case of a Government servant who is, on the date of such publication or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and
- (ii) where a Government servant is under suspension on the 1st day of January, 2006, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.
- (2) The option shall be intimated by the Government servant to the Head of his Office.
- (3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect on and from the 1st day of January, 2006.
- (4) The option once exercised shall be final.
- Note 1 Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge or disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.
- Note 2 Persons who have died on or after the 1st day of January, 2006 and could not exercise the option within the prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006 or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office.
- *Note 3* Persons who were on earned leave or any other leave on 1.1.2006 which entitled them to leave salary will be allowed the benefits of this rule.
- 7. Fixation of initial pay in the revised pay structure:
 - (1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds alien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect

ETHER & D

1 de la c

of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely :-

- (A) in the case of all employees:-
 - (i) the pay in the pay band/pay scale will be determined by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10.
 - (ii) if the minimum of the revised pay band/ pay scale is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band/ pay scale;

Provided further that:-

Where, in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, the increment will be calculated on the pay in the pay band. Grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increments to alleviate bunching.

In the case of pay scales in higher administrative grade (HAG) in the pay band PB-4, benefit of increments due to bunching shall be given taking into account all the stages in different pay scales in this grade. In the case of HAG+ scale, benefit of one increment for every two stages in the pre-revised scale will be granted in the revised pay scale.

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised pay band/ pay scale (where applicable) which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a Government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former.

- (iii) The pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable.
- *Note Illustration 1* on the above is provided in the Explanatory Memorandum to these Rules.
- (B) In the case of employees who are in receipt of special pay/allowance in addition to pay in the existing scale which has been recommended for replacement by a pay band and grade pay without any special pay/allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of clause (A) above.

- (C) In the case of employees who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing scales, such as personal pay for promoting small family norms, special pay to Parliament Assistants, Central (Deputation on Tenure) Allowance, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised pay structure with corresponding allowance/pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised pay structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above. In such cases, the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised pay structure from the date specified in the individual notifications related to these allowances.
- (D) In the case of medical officers who are in receipt of non-practising allowance, the pay in the revised pay structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above except that, in such cases, the pre-revised dearness allowance appropriate to the non-practising allowance admissible at index average 536 (1982 = 100) shall be added while fixing the pay in the revised pay band, and in such cases, non-practising allowance at the new rates shall be drawn with effect from 1.1.2006 or the date of option for revised pay structure, in addition to the pay so fixed in the revised pay structure. *Illustration 2* in this regard is at in the Explanatory Memorandum to these Rules.
- Note 1 (a) In the case of Group D employees, the pay in the revised pay structure will be fixed initially in the -1S pay band as per Clause (A) above with the appropriate grade pay and arrears paid accordingly. Thereafter, pay of such of those Group D employees who already possess the revised minimum qualifications recommended by the Commission prescribed for entry into PB-1 would be fixed with effect from 1.1.2006 in PB-1 with grade pay of Rs.1800.

(b) Such of those existing Group D employees who do not possess the revised minimum qualifications for entry into PB-1 would be retrained by the concerned Department preferably within a period of six months so that payment of arrears on account of upgradation are not delayed. After retraining, these Group D staff will also be placed in the Pay Band PB-1 with the grade pay of Rs.1800 with effect from 1.1.2006 and arrears drawn accordingly. Once placed in the PB-1 Pay Band, this category of Group D staff that already possessed the minimum qualifications and were, therefore, placed in the PB-1 Pay Band as on 1.1.2006. Inter-se seniority of all the employees in erstwhile Group D will be fully maintained with Group D employee in a higher pre-revised pay scale being placed higher vis-à-vis an employee in a lower pay scale. Within the same pre-revised pay scale, seniority which existed prior to revision would continue.

(c) Arrears shall be payable with effect from 1.1.2006 in both the cases i.e. to those Group D employees who possess the qualifications and are placed in PB-1 straight away and those Group D employees who do not possess the qualifications and are placed after re-training. *Illustration 3* in regard to

Ţ

1.08013-0
fixation of pay for Group D staff is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

- Note 2A Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Sixth CPC as indicated in Part B or Part C of the First Schedule to these Rules, the fixation of pay in the applicable pay band will be done in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the upgraded scale as indicated in Column 6 of Part B or C will be payable in addition. *Illustration* 4A in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules.
- Note 2B In the case of merger of pay scales, pay in the revised pay bands will be fixed in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the merged scale as indicated in Column 6 of Part B or C will be payable in addition. *Illustration 4B* in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules.
- Note 3 A Government servant who is on leave on the 1st day of January, 2006 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2006 or the date of option for the revised pay structure. Similarly, where a government servant is on study leave on the first day of January, 2006 he will be entitled to the benefits under these Rules from 1.1.2006 or the date of option.
- *Note* **4** A Government servant under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised pay structure will be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.
- *Note* 5 Where a Government servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the officiating post only, and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.

The provisions of this Note shall apply mutatis mutandis, to Government servants holding in an officiating capacity, posts on different existing scales which have been replaced by the revised pay structure.

- *Note 6* Where the `existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- Note 7 Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 2006 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower

than that of such junior, his pay shall be stepped upto the same stage in the revised pay band as that of the junior.

- Note 8 Where a Government servant is in receipt of personal pay on the 1st day of January, 2006, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- Note 9 In the case of employees who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya, Hindi Typewriting, Hindi Shorthand and such other examinations under the "Hindi Teaching Scheme", or on successfully undergoing training in cash and accounts matters prior to the 1st day of January, 2006, while the personal pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised pay structure, they would continue to draw personal pay after fixation of their pay in the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006 or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised pay structure. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised pay structure from the date of fixation of pay for the period for which the employee would have continued to draw it.
 - **Explanation** For the purpose of this Note, "appropriate rate of increment in the revised pay structure" means 3% of the sum of the pay in the pay band and the grade pay at the stage at which the pay of the employee is fixed in the revised pay structure.
- Note 10 In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 2006 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2006, the pay in the pay band of the senior Government servant should be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely: -
 - (a) both the junior and the senior Government servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre.
 - (b) the pre-revised scale of pay and the revised grade pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.
 - (c) the senior Government servants at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior.
 - (d) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure. If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any

÷.

A LEARN AN A

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

advance increments granted to him, provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.

(2) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.

8. *Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after* **1.1.2006** – Section II of Part A of the First Schedule of these Rules indicates the entry level pay in the pay band at which the pay of direct recruits to a particular post carrying a specific grade pay will be fixed on or after 1.1.2006.

This will also be applied in the case of those recruited between 1.1.2006 and the date of issue of this Notification. In such cases, where the emoluments in the pre-revised pay scale(s) [i.e., basic pay in the pre-revised pay scale(s) plus Dearness Pay plus Dearness Allowance applicable on the date of joining] exceeds the sum of the pay fixed in the revised pay structure and the applicable dearness allowance thereon, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

9. **Rate of increment in the revised pay structure** - The rate of increment in the revised pay structure will be 3% of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable, which will be rounded off to the next multiple of 10. The amount of increment will be added to the existing pay in the pay band. *Illustration* 5 in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules. In the case of PB-3, variable rates of increment at 3% and 4% have been provided. The higher rate of increment will be granted to not more than 20% of the strength of officers in PB-3.

10. **Date of next increment in the revised pay structure** - There will be a uniform date of annual increment, viz. 1st July of every year. Employees completing 6 months and above in the revised pay structure as on 1st of July will be eligible to be granted the increment. The first increment after fixation of pay on 1.1.2006 in the revised pay structure will be granted on 1.7.2006 for those employees for whom the date of next increment was between 1st July, 2006 to 1st January, 2007.

Provided that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1st day of January, 2006. Thereafter, the provision of Rule 10 would apply.

Provided that in cases where an employee reaches the maximum of his pay band, shall be placed in the next higher pay band after one year of reaching such a maximum. At the time of placement in the higher pay band, benefit of one increment will be provided. Thereafter, he will continue to move in the higher pay band till his pay in the pay band reaches the maximum of PB-4, after which no further increments will be granted.

Note1 - In cases where two existing scales, one being a promotional scale for the other, are merged, and the junior Government servant, now drawing his pay at equal or lower stage in the lower scale of pay, happens to draw more pay in the pay band in the revised pay structure than the pay of the senior Government servant in the existing higher scale, the pay in the pay band of the senior government servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with Rule 10.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

11. *Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the* 1st *day of January,* 2006. - Where a Government servant continues to draw his pay in the existing scale and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2006, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:-

Pay in the pay band will be fixed by adding the basic pay applicable on the later date, the dearness pay applicable on that date and the pre-revised dearness allowance based on rates applicable as on 1.1.2006. This figure will be rounded off to the next multiple of 10 and will then become the pay in the applicable pay band. In addition to this, the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale will be payable. Where the Government servant is in receipt of special pay or non-practising allowance, the methodology followed will be as prescribed in Rule 7 (i), (B), (C) or (D) as applicable, except that the basic pay and dearness pay to be taken into account will be the basic pay and dearness pay applicable as on that date but dearness allowance will be calculated as per rates applicable on 1.1.2006.

12. Fixation of pay on reappointment after the 1st day of January, 2006 to a post held prior to that date - A Government servant who had officiated in a post prior to the 1st day of January, 2006 but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the revised pay structure shall be allowed the benefit of the proviso to Fundamental Rule 22, to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1st day of January, 2006, and had elected the revised pay structure on and from that date.

13. *Fixation of pay on promotion on or after* **1.1.2006** – In the case of promotion from one grade pay to another in the revised pay structure, the fixation will be done as follows:-

- (i) One increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding to the promotion post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where promotion involves change in the pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which promotion is taking place, pay in the pay band will be stepped to such minimum.
- (ii) In the case of promotion from PB-4 to HAG+, after adding one increment in the manner prescribed in Rule 9, the pay in the pay band and existing grade pay will be added and the resultant figure will become the basic pay in HAG+. This shall not exceed Rs. 80,000, the maximum of the scale. For Government servants in receipt of NPA, pay plus NPA will not exceed Rs. 85,000.

14. *Mode of payment of arrears of pay* - The arrears shall be paid in cash in two instalments. The first instalment should be restricted to 40% of the total arrears. The remaining 60% of arrears should be paid during the next financial year.

. .

* E 1444 E 16 16

Explanation - For the purposes of this rule:

- (a) "arrears of pay" in relation to a Government servant, means the difference between:
 - (i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitled on account of the revision of his pay and allowances under these rules, for the relevant period. Revised allowances (except for dearness allowance and non-practising allowance) will be payable only with effect from 1.9.2008; and
 - (ii) the aggregate of the pay and allowances to which he would have been entitled (whether such pay and allowances had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.
- (b) "relevant period" means the period commencing on the 1st day of January, 2006 and ending with the 31st August, 2008.

15. *Overriding effect of Rules* - The provisions of the Fundamental rules, the Central Civil Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1960, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973, Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986 and CCS (Revised Pay) Rules, 1997 shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

16. *Power to relax* - Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

17. *Interpretation* - If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

3255 GI 08-6

THE FIRST SCHEDULE (SEE RULES 3 & 4)

PART – A

Section I

Revised Pay Bands and Grade Pays for posts carrying present scales in Group 'A', 'B', 'C' & 'D' except posts for which different revised scales are notified separately.

		Present Scale		(In Rs.) Revised Pay Structure				
S1.	Post/		Name of	Corresponding	Corresponding			
No.	Grade		Pay Band/	Pay Bands/	Grade Pay			
(1)	(0)	(-)	Scale	Scales				
(1) 1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
2	<u>S-1</u>	2550-55-2660-60-3200	-15	4440-7440	1300			
$\frac{2}{3}$	S-2	2610-60-3150-65-3540	-1S	4440-7440	1400			
	S-2A	2610-60-2910-65-3300- 70-4000	-1S	4440-7440	1600			
4	S-3	2650-65-3300-70-4000	-15	4440-7440	1650			
5	S-4	2750-70-3800-75-4400	PB-1	5200-20200	1800			
6	S-5	3050-75-3950-80-4590	PB-1	5200-20200				
7	S-6	3200-85-4900	PB-1	5200-20200	1900			
8	S-7	4000-100-6000	PB-1		2000			
9	S-8	4500-125-7000	PB-1	5200-20200	2400			
10	S-9	5000-150-8000		5200-20200	2800			
11	S-10	5500-175-9000	PB-2	9300-34800	4200			
12	S-11	6500-200-6900	PB-2	9300-34800	4200			
13	S-12	6500-200-10500	PB-2	9300-34800	4200			
14	S-13	7450-225-11500	PB-2	9300-34800	4200			
15	S-14	7500-250-12000	PB-2	9300-34800	4600			
16	S-14 S-15		PB-2	9300-34800	4800			
17		8000-275-13500	PB-2	9300-34800	5400			
17	New	8000-275-13500	PB-3	15600-39100	5400			
18	Scale	(Group A Entry)						
10		9000	PB-3	15600-39100	5400			
20		9000-275-9550	PB-3	15600-39100	5400			
20		10325-325-10975	PB-3	15600-39100	6600			
21		10000-325-15200	PB-3	15600-39100	6600			
22		10650-325-15850	PB-3	15600-39100	6600			
23		12000-375-16500	PB-3	15600-39100	7600			
25		12750-375-16500	PB-3	15600-39100	7600			
25		12000-375-18000	PB-3	15600-39100	7600			
27		14300-400-18300	PB-4	37400-67000	8700			
28		15100-400-18300	PB-4	37400-67000	8700			
29		16400-450-20000	PB-4	37400-67000	8900			
30		16400-450-20900	PB-4	37400-67000	8900			
31		14300-450-22400	PB-4	37400-67000	10000			
32		18400-500-22400	PB-4	37400-67000	10000			
52	5-50 2	22400-525-24500	PB-4	37400-67000	12000			

42

T.

1 .

J.

4 I

43

33	S-31	22400-600-26000	HAG+ Scale	increment @ 3%)	Nil
34	S-32	24050-650-26000	HAG+ Scale	-80000 75500- (annual increment @ 3%) -80000	Nil
35	S-33	26000 (Fixed)	Apex Scale	80000 (Fixed)	Nil
36	S-34	30000 (Fixed)	Cab. Sec.	90000 (Fixed)	Nil

Section II

Entry Pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1.1.2006

Total

PB-1 (Rs.5200-20200) Pay in the Grade pay Pay Band 1,800 5,200

1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

PB-2 (Rs.9300-34800)

	Pay in the	
Grade pay	Pay Band	Total
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

PB-3 (Rs.15600-39100)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

PB-4 (Rs.37400-67000)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

1-14144-1-10

PART - B

REVISED PAY SCALES FOR CERTAIN COMMON CATEGORIES OF STAFF

Section I

- (i) The revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. The initial fixation as on 1.1.2006 will be done in accordance with Note 2 below Rule 7 of this Notification.
- (ii) On account of merger of pre-revised pay scales of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500, some posts which presently constitute feeder and promotion grades will come to lie in an identical grade. The specific recommendations about some categories of these posts made by the Pay Commission are included Section II of Part B. As regards other posts, the posts in these three scales should be merged. In case it is not feasible to merge the posts in these pay scales on functional considerations, the posts in the scale of Rs.5000-8000 and Rs.5500-9000 should be merged, with the post in the scale of Rs.6500-10500 being upgraded to the next higher grade in pay band PB-2 i.e. to the grade pay of Rs.4600 corresponding to the pre-revised pay scale of Rs.7450-11500. In case a post already exists in the scale of Rs.7450-11500, the post being upgraded from the scale of Rs.6500-10500 should be merged with the post in the scale of Rs.7450-11500.
- (iii) Posts in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of either Degree in Engineering or a Degree in Law should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600.
- (iv) Posts of scientific staff in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of engineering degree or a post-graduate degree should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600
- (v) Upgradation as in (ii) above may be done in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance. Regarding (iii) and (iv) above, upgradation may be done by the Ministries concerned in consultation with their Integrated Finance.

r	1	۹				(In Rupees)
				Corresp		
SI.			Revised Pay	Band &	Grade Pay	Para No.
No.	Post	Present scale	Scale	Pay	Grade	of the
			ocare	Band	Pay	Report
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ι	OFFICE STAFF IN T	HE SECRETARI	AT*	<u> </u>	(0)	()
1	Section Officer/PS/ equivalent	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	
			8000-13500	PB-3	5400	3.1.9

Section II

			(on		(on	(Modifi
			completion of		completio	d by
			four years)		n of 4	Govt.)
					years	
	* This scale shall be had a historical pa Ministerial/Secreta Ministry of Parlian	rity with CSS/C arial posts in l	CSSS. Services lik Ministries/Depart	e AFHQS ments or	S/AFHQSSS ganisations	/RBSS ar like ME
II	OFFICE STAFF WOR	RKING IN ORG	ANISATIONS O	UTSIDE	THE SECRE	TARIAT
1	Head Clerk/	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	3.1.14
	Assistants/	5000-8000				
	Steno Gr.II/					
	equivalent					
2	Administrative	7500-12000	7500-12000		4800	
	Officer Grade II/ Sr.		(entry grade			
	Private Secretary/		for fresh	PB-2		
	equivalent	9	recruits)			3.1.14
					5400	
			8000-13500		(on	
			(on		completio	
			completion of		n of 4	
		-	fo ur years)		years	<i>i</i> .
III	CADRES The existing relativity	between the ac		sts outsid	e organized	3.8.5
	CADRES	between the ac ministerial post norganized Ac	counts related po s will be maintain counts cadres sh	sts outsid red and t	e organized he accounts	3.8.5
IV	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u	between the ac ministerial post norganized Ac	counts related po s will be maintain counts cadres sh	sts outsid red and t	e organized he accounts	3.8.5
	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace	between the ac ministerial post norganized Ac	counts related po s will be maintain counts cadres sh	sts outsid red and t	e organized he accounts	3.8.5 3.8.6
IV	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS	between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band	counts related po s will be maintair counts cadres sh and grade pay.	sts outsid ned and t all be ex	e organized he accounts ktended the	
IV 1	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist	between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band 6500-10500	counts related po s will be maintair counts cadres sh and grade pay.	sts outsid ned and t all be ex PB-2	e organized he accounts stended the 4600	
IV 1 V	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF	between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band 6500-10500 All the posts placed in the r	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F	sts outsid ned and t all be ex PB-2 PB-2 n Group PB-1 along	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade	3.8.6
IV 1 V	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D'	between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band 6500-10500 All the posts placed in the r pay of Rs.1800	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ	sts outsid ned and t all be ex PB-2 PB-1 along rupying tl	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is	3.8.6
IV 1 V 1.	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales	between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band 6500-10500 All the posts placed in the re pay of Rs.1800 suitably retrain	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F	sts outsid ned and t all be ex PB-2 PB-1 along rupying tl	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is	3.8.6
IV 1 V 1. VI	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE	between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band 6500-10500 All the posts placed in the re pay of Rs.1800 suitably retrain STAFF	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu	sts outsid hed and t all be en PB-2 PB-2 n Group PB-1 along rupying th lti-skilled	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is	3.8.6
IV 1 V 1. VI 1	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman	All the posts placed in the repay of Rs.1800 suitably retrain STAFF 6500-10500	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500	sts outsid ned and t all be ex PB-2 PB-1 along rupying tl	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is	3.8.6
IV 1 V 1. VI 1 VI 1 VII	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman ELECTRONIC DATA	All the posts of between the ac ministerial post norganized Ac ement Pay Band 6500-10500 All the posts placed in the re pay of Rs.1800 suitably retrain STAFF 6500-10500 A PROCESSINC	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500 G (EDP) STAFF	sts outsid hed and t all be ex PB-2 PB-2 PB-1 along rupying th tti-skilled PB-2	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade hese posts is 4600	3.8.6 3.8.7 3.8.9
IV 1 V 1. VI 1	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman ELECTRONIC DATA Data Processing	All the posts placed in the repay of Rs.1800 suitably retrain STAFF 6500-10500	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500	sts outsid hed and t all be en PB-2 PB-2 n Group PB-1 along rupying th lti-skilled	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is	3.8.6
IV 1 V 1. VI 1 VI 1 VII	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman ELECTRONIC DATA	All the posts placed in the rail placed in the rail staff 6500-10500 A PROCESSINC 6500-10500	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500 G (EDP) STAFF	sts outsid hed and t all be ex PB-2 PB-2 PB-1 along rupying th tti-skilled PB-2	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade hese posts is 4600	3.8.6 3.8.7 3.8.9
IV 1 V 1. VI 1 VI 1 VII 1	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman ELECTRONIC DATA Data Processing Assistant	All the posts placed in the rail placed in the rail staff 6500-10500 A PROCESSINC 6500-10500	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500 G (EDP) STAFF	sts outsid hed and t all be ex PB-2 PB-2 PB-1 along rupying th tti-skilled PB-2	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade hese posts is 4600	3.8.6 3.8.7 3.8.9
IV 1 V 1. VI 1 VII 1 VII 1 VIII	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman ELECTRONIC DATA Data Processing Assistant FIRE FIGHTING ST	All the posts placed in the rail placed in the rail placed in the rail suitably retrain STAFF 6500-10500 A PROCESSINC 6500-10500 AFF	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500 G (EDP) STAFF 7450-11500	sts outsid hed and t all be ex PB-2 PB-2 PB-1 along PB-1 along the pB-2 PB-2 PB-2	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is 4600 4600	3.8.6 3.8.7 3.8.9
IV 1 V 1. VI 1 VII 1 VIII 1 1	CADRES The existing relativity accounts cadres and staff belonging to u corresponding replace ARTISTS Senior Artist CANTEEN STAFF Posts of Canteen Staff in the pre- revised Group 'D' pay scales DRAWING OFFICE Chief Draughtsman ELECTRONIC DATA Data Processing Assistant FIRE FIGHTING ST Firemen	All the posts placed in the repay of Rs.1800 suitably retrain STAFF 6500-10500 APROCESSINC 6500-10500 AFF 2610-3540	counts related po s will be maintain counts cadres sh and grade pay. 7450-11500 of canteen staff in evised Pay Band F once the staff occ ned and made mu 7450-11500 G (EDP) STAFF 7450-11500 3050-4590	sts outsid hed and t all be ex PB-2 PB-2 PB-1 along upying th ti-skilled PB-2 PB-2 PB-2 PB-2	e organized he accounts stended the 4600 'D' will be g with grade nese posts is 4600 4600 1900	3.8.6 3.8.7 3.8.9

32.55 GI 08-CA Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

ł

÷.

	Fire Officer			1	1			
5	Deputy Divisional Fire Officer	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600			
IX	LIBRARY STAFF							
1	life revised pay ban	Posts of Library Attendant Grade II and I shall stand merged and placed in the revised pay band PB-1 along with grade pay of Rs.1800 after their skills are suitably enhanced.						
2	Asstt. Library Information Officer	ed. 6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.1		
XI	LABORATORY STAFF							
1	All posts of Laboratory Staff in the pre-revised Group 'D' pay scales (commonly designated as Laboratory Attendants Grade I, II & III) shall be placed in the revised Pay Band PB-1 along with Grade Pay of Rs.1800 after their skills are suitably enhanced.							
2	Laboratory Technician Gr.I	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600			
XII	NURSING & PARA	MEDICAL STAL	F F			L		
1	Staff Nurse	5000-8000	7450-11500	PB-2	4600	3.8.15		
2	Nursing Sister	5500-9000	7500-12000	PB-2	4800	0.0.10		
3	Dietician Gr.II/ Lecturer in PT/OT/ Radiographer	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600			
4	Asstt. Nursing Superintendent	6500-10500	8000-13500	PB-3	5400			
5	Deputy Nursing Superintendent	7500-12000	8000-13500	PB-3	5400			
6	Nursing Superintendent	8000-13500	10000-15200	PB-3	6600			
7	Chief Nursing Officer	10000-15200	12000-16500	PB-3	7600			
XIII	PHOTOGRAPHERS							
1	Photography Attendant Gr.II/ any other post in the pre-revised Group 'D' scale	2650-4000/ any other scale in the pre-revised Group 'D'		PB-1	1800	3.8.16		
2	Chief Cinematographer/ equivalent	scale 6500-10500	7450-11500	РВ-2	4600			
αv	PRINTING STAFF			<u> </u>				
	Posts of printing st revised pay scales of F	aff in the pre-	7450-11500	PB-2	4600	3.8.18		
w	RECEPTIONISTS							
A 11	Various posts of Receptionists to be merged with the clerical cadre in the corresponding pay band and grade pay. In case no corresponding grade pay exists in the clerical cadre, the merger should be made in the immediate higher grade pay available in the clerical cadre.							
VI	STOREKEEPING ST					***** * **		
	Senior Store Keeper	6500-10500	7450-1100	PB-2	4600	3.8.20		

ļ.

1.00

ŧ

91 I

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····			
	Gr. II					
	(To be extended to					
	all analogous posts					
	of Storekeeping staff irrespective of					
	designation)					
XVII	TEACHERS				<u> </u>	
	TEACHERS					
1	Primary School	Grade III	Grade III	PB-2	4200]
	Teacher	4500-7000	6500-10500			
		Grade II	Grade II	PB-2	4600	
		5500-9000	7450-11500			
		Grade I	· Grade I	PB-2	4800	
		6500-10500	7500-12000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
2	Trained Graduate	Grade III	Grade III	P B-2	4600	
	Teacher	5500-9000	7450-11500			
		Grade II	C I II	DD O	4000	
		6500-10500	Grade II 7500-12000	P B-2	4800	
		0500-10500	7500-12000			
		Grade I	Grade I	PB-2	5400	
		7500-12000	8000-13500	10-2	5400	3.8.22
3	Post Graduate	Grade III	Grade III	PB-2	4800	0.0.22
	Teacher	6500-10500	7500-12000		1000	
		Grade II	Grade II	PB-3	5400	
		7500-12000	8000-13500			
		Grade I	Grade I	PB- 3	6600	
		8000-13500	10000-15200			
4	Vice Principal		-			
		Grade II	Grade II	PB-3	5400	
		7500-12000	8000-13500			
		0.11				
		Grade I	Grade I	PB-3	6600	
5	Duin aire 1	8000-13500	10000-15200			
5	Principal	10000-15200	12000-16500	PB-3	7600	
6.	Education Officer/	10000-15200	12000-16500	PB-3	7600	3.8.24
	Assistant Director	-				
	of Education #					
	# Posts of Education	n Officer/Assista	int Director of E	ducation s	tand merge	d with the
	post of Deputy Direct	or of Education.				
VIII	VETEDINIADIANO					
XVII I	VETERINARIANS					
1	Group 'D' posts of	All Group	'D' posts o	f Para	Veterinary	
-	Para Veterinary	1	mpounder are f		¥ 1	
	Attendants		and PB-1 along			
			ey are retrained s		ac puy of	
			-, remained b			
2	All Para Veterinary					
	staff in the pre-	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	
	revised scale of		• • • •		2000	3.8.25
	Rs.6500-10500					

47

ा माम जे

1º

	<u>1</u>	HE GAZETTE OF	INDIA : EXTRAO	RDINARY		[Part II-Sec. 3(i)
3	Veterinary Officers	Veterinary Off AH along with of India are to Medical Officer				
XIX	WORKSHOP STAFF				<u></u>	
1	Unskilled	2550-3200	2750-4400	PB-1	1800	3.8.27
2	Semi Skilled	2650-4000	2750-4400	PB-1	1800 *	
3	Asstt. Shop Superintendent \$ / Dy. Shop Superintendent/ Asstt. Foreman	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.29
	* Grades of existing un \$ The grades of Superintendent/ equir	Asstt. Shop Su	perintendent/eg	stand mer uivalent	ged. and Shop	
XX	ORGANISED ACCO	UNTS CADRES	*			
1	Section Officer	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.56.9
2	Assistant Accounts/Audit Officer	7450-11500	7500-12000	PB-2	4800	7.56.9
3	Audit/Accounts Officer	7500-12000	8000-13500	PB-2	5400	7.56.9
4	Senior Audit / Accounts Officer	8000-13500	8000-13500	PB-3	5400	7.56.9
	*Also applicable to en	ployees of India	n Audit & Accou	nts Depart	tment	

1 4

PART – C

REVISED PAY STRUCTURE FOR CERTAIN POSTS IN MINISTRIES, DEPARTMENTS AND UNION TERRITORIES

Section I

- (i) The revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. The initial fixation as on 1.1.2006 will be done in accordance with Note 2 below Rule 7 of this Notification.
- (ii) On account of merger of pre-revised pay scales of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500, some posts which presently constitute feeder and promotion grades will come to lie in an identical grade. The specific recommendations about some categories of these posts made by the Pay Commission are included Section II of Part C. As regards other posts, the posts in these three scales should be merged. In case it is not feasible to merge the posts in these pay scales on functional considerations, the posts in the scale of Rs.5000-8000 and Rs.5500-9000 should be merged, with the post in the scale of Rs.6500-10500 being upgraded to the next higher grade in pay band PB-2 i.e. to the grade pay of Rs.4600 corresponding to the pre-revised pay scale of Rs.7450-11500. In case a post already exists in the scale of Rs.7450-11500, the post being upgraded from the scale of Rs.6500-10500 should be merged with the post in the scale of Rs.7450-11500.
- (iii) Posts in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of either Degree in Engineering or a Degree in Law should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600.
- (iv) Posts of scientific staff in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of engineering degree or a post-graduate degree should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600
- (v) Upgradation as in (ii) above may be done in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance. Regarding (iii) and (iv) above, upgradation may be done by the Ministries concerned in consultation with their Integrated Finance.

3255 GI 08-7

Section II

The revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column 2 have been approved by the Government.

Sl. No.	Post	Present	Revised	Corresponding Pay Band & Grade Pay		(In Rupees Para No. of	
s 		scale Pay Scale		Pay Band	Grade Pay	the Report	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
MIN	ISTRY OF AGRICULTURE						
1	Plant Protection Officer in Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.1.5	
2	Senior Instructor in Central Farm Machinery Training and Testing Institute	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.1.6	
3	Manager (Procurement/Processing/Q uality Control/Distribution) in Delhi Milk Scheme	10000-15200	12000- 16500	PB-3	7600	7.1.7	
4	Senior Dairy Engineer in Delhi Milk Scheme	10000-15200	12000- 16500	PB-3	7600	7.1.7	
5	Junior Fisheries Scientists Grade I and Grade II in Fishery Survey of India (Posts stand merged)	Grade I 7500-12000 Grade II 6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.1.12	
6	Assistant Director in Directorate of Cotton Development	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.1.20	
7	Senior Seed Analyst in National Seed Research Training Centre, Varanasi	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.1.22	
8	Senior Instructor in Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.1.24	
MINI DEPA	STRY OF COMMUNICATIONS	5 & INFORMA	TION TECHN	NOLOG	Y		
1	Technical Supervisors in Mail Motor Service	4500-7000	5000-8000	PB-2	4200	7.6.8	
2	Artisan Grade I in Mail Motor Service	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.6.8	
3.	Assistant Director (Recruitment)	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.6.9	

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

1 |

1

4 1

4	Assistant Superintendent Post Office (ASPOs)	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.6.14
5	Superintendent (Posts)	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.6.14
			8000-13500 (after 4 years)	PB-2	5400	
6	Assistant Manager, Mail Motor Service	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.6.14
7	Deputy Manager, Mail Motor Service	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.6.14
8	Higher Selection Grade I	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.6.15
9	Postman	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.6.17
10	Mail Guard in Railway Mail Service	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.6.17
11	Translation Officer (French)	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.6.18

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

1	Technical Assistant	in	the	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.12.13
	Directorate of Sugar							

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

1	Company Prosecutor Grade II	Grade II	7450-11500	PB-2	4600	7.8.5
	& Grade III	6500-10500				
		Grade III				
		5500-9000				
2	Senior Technical Assistants	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.8.6
3	Assistant Directors in Serious Fraud Investigation	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.8.10
	Organisation				4	

MINISTRY OF CULTURE

1	Assistant Superintendent (Archaeologist) in Archaeology Cadre, ASI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.5
2	Assistant Superintendent in the Epigraphy Cadre, ASI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.5
3	Assistant Superintendent in Science Cadre, Assistant Archaeological Chemist, ASI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.5
4	Assistant Superintendent, Achaeological Engineer in Conservation Cadre, ASI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.5
5	Assistant Superintendent, Archaeological Engineer, Horticulture Engineer, ASI	6500-10500	7450-11500	РВ-2	4600	7.9.5
6	Senior Surveyor, Archaeological Survey of India	5500-9000	7450-11500	PB-2	4600	7.9.8
7	Deputy Curator in National Museum	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.14

THE GAZETTE OF IND	A: EXTRAORDINARY

[Part II—Sec. 3(i)]

						A
8	Posts in the Nationa		7450-11500	PB-2	4600	7.9.1
	Archives carrying the pre	-			1000	7.7.1
	revised scale of 6500-1050					
	and feeder post exists in 5500	-				
	9000.					
9	Microphotographist ir	n 6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.1
	National Archives of India					
	INISTRY OF DEFENCE					
De	epartment of Defence					
1	Machineman/Operator	4500-7000	5000-8000	DP 2	1200	
	Offset	1000-7000	5000-8000	PB-2	4200	7.10.1
2	Assistant Master in Military	5500-9000	7450-11500	PB-2	4600	7100
	Schools		110011000	1 ⁻¹ D-2	4600	7.10.2
3	Master Gazetted in Military	7500-12000	8000-13500	PB-3	5400	7.10.2
	Schools					7.10.2
Coa	ast Guard Organisation (General	Duty Pror -L)				<u></u>
		Duty branch)				
1	Navik	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.10.2
5	Uttam Navik	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.10.20
5	Pradhan Navik	3200-4900 +	4500-7000	PB-1	2800	7.10.26
		spl.pay Rs.50		_		7.10.20
7	Uttam Adhikari	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.26
3	Pradhan Adhikari	6500-10500+	7500-12000	PB-2	4800	7.10.26
		spl. Pay of				
		Rs.200				
Coa	st Guard Organisation (Domestic	Branch)				
)	Navik	2750-4400	3050-4590	PB-1	1000	
0	Uttam Navik	3050-4590	3200-4900	PB-1	1900	7.10.26
1	Pradhan Navik	3200-4900	4000-6000	PB-1 PB-1	2000	7.10.26
2	Pradhan Adhikari	6500-10500		PB-2	<u>2400</u> 4600	7.10.26
		0000-10000		PD-2 1	4600	
			7450-11500			
loas	st Guard Organisation (Aviation)	Branch)	7450-11500			
		-				7.10.26
3	Navik	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	
3	Navik Uttam Navik	3050-4590 3200-4900	3200-4900 4000-6000	PB-1 PB-1	2000 2400	7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5	Navik Uttam Navik Pradhan Navik	3050-4590 3200-4900 4000-6000	3200-4900 4000-6000 4500-7000	PB-1 PB-1 PB-1	2000 2400 2800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2	2000 2400 2800 4600	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5	Navik Uttam Navik Pradhan Navik	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500-	3200-4900 4000-6000 4500-7000	PB-1 PB-1 PB-1	2000 2400 2800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl.	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2	2000 2400 2800 4600	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2	2000 2400 2800 4600	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 6	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl.	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2	2000 2400 2800 4600	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 6 7	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari Pradhan Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2	2000 2400 2800 4600	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 6 7	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2	2000 2400 2800 4600	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 6 7	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari Pradhan Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200 Branch)	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500 7500-12000	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2 PB-2	2000 2400 2800 4600 4800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 6 7 0as	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari Pradhan Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200 Branch) 6500-10500	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500 7500-12000 7450-11500	PB-1 PB-1 PB-2 PB-2 PB-2	2000 2400 2800 4600 4800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 5 7 7	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari Pradhan Adhikari	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200 Branch)	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500 7500-12000	PB-1 PB-1 PB-1 PB-2 PB-2	2000 2400 2800 4600 4800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 7 7 0 as	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari Pradhan Adhikari Pradhan Adhikari Image: Stress of the s	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200 Branch) 6500-10500 7450-11500	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500 7500-12000 7450-11500 7500-12000	PB-1 PB-1 PB-2 PB-2 PB-2	2000 2400 2800 4600 4800 4800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26
3 4 5 6 7 7	Navik Uttam Navik Pradhan Navik Uttam Adhikari Pradhan Adhikari at Guard Organisation (Technical Uttam Engineer Pradhan Engineer	3050-4590 3200-4900 4000-6000 6500-10500 6500- 10500+Spl. Pay of Rs.200 Branch) 6500-10500 7450-11500	3200-4900 4000-6000 4500-7000 7450-11500 7500-12000 7450-11500 7500-12000	PB-1 PB-1 PB-2 PB-2 PB-2	2000 2400 2800 4600 4800 4800	7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26 7.10.26

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

I I

i 1

-1 \sim 0

}-|**}**]**#**]**#**↓|<u>|</u>_16_---

- 1 - 1 **-** 1 - 1 - 4

<u>52</u>

21	Examiner Grade I in Defence Institute of Psychological Research	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10
22	Senior Technical Assistant in DRDO	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10
MIN	IISTRY OF EARTH SCIENCES	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
1	Technical Assistants in Centre for Marine Living Resources & Ecology, Kochi	4500-7000	6500-10000	PB-2	4200	7.12
MIN	NISTRY OF ENVIRONMENT & H	ORESTS				
1	Junior Administrative Officer in Zoological Survey of India	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.13
MIN	JISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	5				
1	Security Guards	Higher Pay analogous po respect of Sec	sts in CISF sh	all be ex		7.14
2	Superintendent, Central Passport Organization	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.14
MIN	NISTRY OF FINANCE					
	VISTRY OF FINANCE Partment of Economic Affairs Section Officer (Excluded)	7450-11500	7500-12000	PB-2	4800	7.15
Dep	artment of Economic Affairs	7450-11500	8000-13500 (after 4	РВ-2 РВ-3	4800 5400	7.15
Dep	Section Officer (Excluded) Assistant Class-II in Govt.	7450-11500 3050-4590	8000-13500			
Dep	Assistant Class-II in Govt. Mint Supervisor in India Security Press and Currency Note		8000-13500 (after 4 years)	PB-3	5400	7.15
Dep 1 2	Assistant Class-II in Govt. Mint Supervisor in India Security Press and Currency Note Press Deputy Control Officer in India Security Press and	3050-4590	8000-13500 (after 4 years) 3200-4900	РВ-3 РВ-1	5400 2000	7.15
Dep 1 2 3	Assistant Class-II in Govt. Mint Supervisor in India Security Press and Currency Note Press Deputy Control Officer in India Security Press and Currency Note Press Works Engineer in India Security Press and Currency	3050-4590 6500-10500	8000-13500 (after 4 years) 3200-4900 7450-11500	РВ-3 РВ-1 РВ-2	5400 2000 4600	7.1
Dep 1 2 3 4	Assistant Class-II in Govt. Mint Supervisor in India Security Press and Currency Note Press Deputy Control Officer in India Security Press and Currency Note Press Works Engineer in India	3050-4590 6500-10500 6500-10500	8000-13500 (after 4 years) 3200-4900 7450-11500 7450-11500	РВ-3 РВ-1 РВ-2 РВ-2	5400 2000 4600 4600	7.15
Dep 1 2 3 4 5 6 7	Partment of Economic Affairs Section Officer (Excluded) Assistant Class-II in Govt. Mint Supervisor in India Security Press Deputy Control Officer in India Security Press and Currency Note Press Works Engineer in India Security Press and Currency Note Press Assistant Class-II in Calcutta Mint Technical Wing Officers in Security Press	3050-4590 6500-10500 6500-10500 6500-10500 3050-4590 6500-10500	8000-13500 (after 4 years) 3200-4900 7450-11500 7450-11500 4500-7000 7450-11500	РВ-3 РВ-1 РВ-2 РВ-2 РВ-2 РВ-2 РВ-1 РВ-2	5400 2000 4600 4600 2800 4600	7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Dep 1 2 3 4 5 6	Partment of Economic Affairs Section Officer (Excluded) Assistant Class-II in Govt. Mint Supervisor in India Security Press and Currency Note Press Deputy Control Officer in India Security Press and Currency Note Press Works Engineer in India Security Press and Currency Note Press Assistant Class-II in Calcutta Mint Technical Wing Officers in	3050-4590 6500-10500 6500-10500 6500-10500 3050-4590	8000-13500 (after 4 years) 3200-4900 7450-11500 7450-11500 7450-11500 4500-7000	PB-3 PB-1 PB-2 PB-2 PB-2 PB-2	5400 2000 4600 4600 4600 2800	7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15

[PART II-SEC. 3(i)]

	partment of Revenue	_				
9	Income Tax Officers/ Superintendent, Appraisers		7500-12000	PB-2	4800	7.15.
	etc. (Customs & Central Excise)		8000-13500 (after 4 years)	PB-2	5400	
10	Notice Server	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.15.1
·	NISTRY OF HEALTH & FAMILY	WELFARE				
1	Medical Supervisor/Health Visitor	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.17.1
AIN	NISTRY OF HOME AFFAIRS	1	4	1	I	
	Statistical Investigator Gr.I in RGI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.19.9
	Additional DIG in CPMFs	14300-18300	16400-20000	PB-4	8900	7.19.3
·	Constable in CPMFs	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.19.3
	Head Constable in CPMFs	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.19.3
	Assistant Sub Inspector in CPMFs	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.19.3
	Inspector in CPMFs	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.19.3
	Subedar Major in CPMFs	6500- 10500+Rs.20 0 pm.	7500-12000	PB-2	4800	7.19.35
	Constable in Delhi Police	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.19.50
	Head Constable in Delhi Police	3200-4900	4000-6000	PB-1	2000	7.19.50
)	Assistant Sub Inspector in Delhi Police	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.19.50
	Inspector in Delhi Police	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.19.50
	Security Assistant in IB	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.19.62
	Junior Intelligence Officer Gr.II in IB	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.19.62
	Junior Intelligence Officer Gr.I in IB	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.19.62
	ACIO-I in IB	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.19.62
	Sr. Translator in CSOLS	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.19.68
	Asstt. Director (OL) in CSOLS	7500-12000	8000-13500	PB-3	5400	7.19.68
	Entry Grade in DANICS, DANIPS, Pondicherry Civil Service and Pondicherry	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.19.51 7.19.68
	Service and Pondicherry Police Service		8000-13500 (after 4 years)	РВ-3	5400	
NI	STRY OF INFORMATION & BR	OADCASTIN	G		L	
	Technical Assistants (Advertising) in DAVP	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.22.6
	Assistant Production Manager in DAVP	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.22.8
	Assistant Distribution Officer in DAVP/Assistant Media Executive	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.22.8

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

1 4

1. 1.

			······································			
4	Assistant Business Manager in Publications Division	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.22.12
5	Carpenters in Films Division	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.22.14
MIN	NISTRY OF LABOUR & EMPLO	YMENT		A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	Senior Employment Officer	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.23.4
2	Law Officer Grade II in	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.23.11
	DGMS		/ 100 11000	10-2	4000	7.20.11
3	Legal Assistant in DGMS	5500-9000	7450-11500	PB-2	4600	7.23.11
	(To be merged with the post			-		
4	of Law Officer Grade II)	(500 40500	R 450 44500			
4	Labour Enforcement Officers in Labour Bureau	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.23.14
MIN	NISTRY OF LAW AND JUSTICE					
.1	Assistant (Legal)	6500-10500	7450-11500	P B-2	4600	7.24.12
MIN						
IVIIIN	IISTRY OF MINES					
1	Assistant Mining Geologist in IBM	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.26.5
2	Assistant Chemist in IBM	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.26.5
3	Mineral Officer in IBM	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.26.5
4	Senior Scientific Officer in the	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.26.11
	Directorate General of Mines Safety					
					<u> </u>	
MIN	ISTRY OF PERSONNEL, PUBLI	C GRIEVANC	ES AND PENS	SIONS		
1	Language Instructors	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.32.10
2	Assistant Directors in ISTM	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.32.16
3	Constable in CBI	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.32.18
4	Head Constable in CBI	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.32.18
5	Assistant Sub Inspector in CBI	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.32.18
6 ·	Inspector in CBI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.32.18
MIN	ISTRY OF POWER	· <u></u>	<u> </u>	<u>-</u>		I
1	Professional/Chatiatian	4500 7000	E000 0000	DDC	4000	7050
T	Professional/Statistical Assistant	4500-7000	5000-8000	РВ-2	4200	7.35.2
	ISTRY OF SHIPPING, ROAD TI er Roads Organization	RANSPORT &	HIGHWAYS	I		
1.	Technical Assistant, Assistant Engineer and Chief Draughtsman in Deptt. of Road Transport & Highways.	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.39.20

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

	THE GAZ	ETTE OF INDIA	:EXTRAORDI	NARY		Part II-SEC
2	Overseer in Border Roads Organisation (To be merged with the promotional post of Superintendent BR Grade II)		5000-8000	PB-2	4200	7.39.22
3	Superintendent Grade II in the Civil Engineering and Electrical & Mechanical Cadre	4500-7000	5000-8000	PB-2	4200	7.39.23
4	Foreman Superintendent (Fire)	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.39.28
MIN	VISTRY OF SOCIAL JUSTICE &	EMPOWERM	ENT			
1	Senior Investigator in National Commission for Scheduled Castes	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.40.4
MIN	IISTRY OF STATISTICS AND P	ROGRAMME	IMPLEMENT	ATION		
1	Statistical Investigator Grade II (To be merged with the post of Statistical Investigator Gr.I)	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.41.5
MIN 1	ISTRY OF TEXTILES Assistant Director (Technical)	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.43.11
	in the Office of Textile Commissioner					
2	Assistant Director (Economics) in the Office of Textile Commissioner	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.43.11
3	Assistant Director (Handicrafts) in the Office of Development Commissioner (Handicrafts)	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.43.13
MINI	ISTRY URBAN DEVELOPMENT	[II			
1	Assistant Engineer in Engineering Wing of CPWD	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.46.12
2 .	Assistant Director in Horticulture Wing of CPWD	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.46.17
3	Technical Officers in Drawing Wing of CPWD	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.46.23
4	Legal Assistants in the Directorate of Estates	5500-9000	7450-11500	РВ-2	4600	7.46.27
5	UDC Incharge (To be merged with the post of Deputy Store Keeper)	4500-7000	5000-8000	PB-2	4200	7.46.31

1

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

 $\| f_{i,j} - f_{i,j} \| \leq \| f_{i,j} - f_{i,j} - f_{i,j} \| \leq \| f_{i,j} - f_{i,j} \|$

a i ca

2

Station

7450-11500

7450-11500

PB-2

PB-2

6500-10500

6500-10500

4600	7.47.6

7.47.8

4600

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

1	Demonstration Officer Grade	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.48.5
	I/Senior Technical					
	Assistant/Chemist	•				

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

MINISTRY OF WATER RESOURCES

Superintendent in Central

Water & Power Research

Assistant Director Gr.II in

Central Water Commission

1	Estate Manager &	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.53.6
	Meeting Officer, Jr.					
	Analyst, Jr. Research					
	Officer, Security					4
	Officer,					
	Superintendent (DP),					· · ·
	Reception Officer,					
	Assistant Library &					
	Information Officer,					· .
	Data Processing &					
ļ	Processing Assistant					
	and Superintendent					
	(Typing)					

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

1	Divisional Accounts Officer Gr.II	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.56.13
2	Divisional Accounts Officer Grade-I	7450-11500	7500-12000	PB-2	4800	7.56.13
3	Sr. Divisional Accounts Officer	7500-12000	8000-13500	РВ-3	5400	7.56.13

UNION TERRITORIES

1	Constable in UTs other than	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.57.6
	Delhi					
	(Constables presently in a pay					
	scale lower than Rs.3050-4590					
	shall be placed in the revised					Ī
	pay band PB-1 with grade					
	pay of Rs.1800.					
2	Head Constable in UTs other	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.57.6
	than Delhi					
3	Assistant Sub Inspector in	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.57.6
	UTs other than Delhi					
4	Inspector in UTs other than	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.6
	Delhi					
5	Forest Guard/Forest	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.57.7
•	Protection Force		1.5		. *	

3255 のりいをublished on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

						LITAGE IN D
6	Head Forest Guard	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.57.7
7	Forester/analogous posts	4000-6000	4500-7000		2800	7.57.7
8	Tehsildars	6500-10500	7450-11500		4600	7.57.1
Un	ion Territory of Delhi		11000	10-2	4000	7.57.1
-						
9	Archaeological Engineer in UT of Delhi	6500-10500	7450-11500	PB-2	4200	7.57.15
10	Horticulture Assistant in Department of Archaeology, Govt. of Delhi		6500-10500	PB-2	4200	7.57.16
11	Conservation Assistant in Department of Archaeology, Govt. of Delhi	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.57.16
12	Surveyor in Department of Archaeology, Govt. of Delhi	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.57.16
13	Horticulture Assistant in Departments of Revenue & Development, UT of Delhi	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.57.17
14	Technical Assistant in Departments of Revenue & Development, UT of Delhi	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.57.17
15	Plant Protection Assistant in Departments of Revenue & Development, UT of Delhi	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.57.17
16	Extension Officer in Departments of Revenue & Development	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	7.57.17
17	Village Level Worker	3200-4000	4000-6000	PB-2	2400	7.57.17
<u>18</u> 19	Project Officer in UT of Delhi	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.25
	Junior Staff Officer in UT of Delhi	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.29
20	Public Prosecutor	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.30
Unio	n Territory of Lakshadweep					
21	Assistant Director of Fisheries					
21	(To be merged with the post of Dy. Director of Fisheries)	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.47
22	Fireman	2610-4000	3050-4590	DD 1	1000	
Unio	n Territory of Andaman & Nicob	ar Islands	5050-4590	PB-1	1900	7.57.46
23	Patwari in the UT of Andaman & Nicobar Islands and also other UTs irrespective of the designation it carries.	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.57.61
Unior	n Territory of Puducherry					
.4	Translator, Law Department	4500-7000	5000-8000	DR 0	4000	
25	Reporter, Information Department (To be merged	4000-6000	4500-7000	PB-2 PB-1	4200 2800	7.57.65 7.57.66
	with the post of Sub Editor)				1	1
6	with the post of Sub Editor) Overseer Grade I, Local Administration Department	4500-7000	5000-8000	PB-2	4200	7.57.68

1 1 1

ŧ

4 [0

- REFERENCES - EN ERSENT

Ĵ.

28	Editor of Debates, Legislative Assembly	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.71
29	Assistant Engineer (Marine), Fisheries Department	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.76
30	Overseer, Public Works Department	4000-6000	5000-8000	PB-2	4200	7.57.77
31	Sewage Analyst, Public Works Department (To be merged with the post of Bio Chemist)	5500-9000	7450-11500	PB-2	4600	7.57.77
32	Bio Chemist	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.57.77
33	Fieldman, Animal Husbandry Department	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.57.79

THE SECOND SCHEDULE

Form of Option

[See Rule ___]

*(i) I _______hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2006.

*(ii) I ______ hereby elect to continue on the existing scale of pay of my substantive/officiating post mentioned below until:

Existing Scale _____

	Signature	
	Name	
	Designation	
	Office in which employed	
Date:	- • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Station:

* To be scored out, if not applicable.

MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE CENTRAL CIVIL SERVICES (REVISED PAY) RULES , 2008

Rule 1 - This rule is self-explanatory.

Rule 2 - This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under clause (2), the rules are applicable to all persons under the rule making control of the President serving in Departments paid from Civil Estimates. They do not apply to the employees under the Ministry of Railways and civilian personnel paid from Defence Services Estimates, for whom separate rules will be issued by the Ministries concerned. The rules do not also apply to Gramin Dak Sevaks in the Department of Posts. The rules, however, apply to work charged establishments.

Rule 3 & 4 - These rules are self-explanatory.

Rule 5 - The intention is that all Government servants should be brought over to the revised pay structure except those who elect to draw pay in the existing scales. Those who exercise the option to continue on the existing scales of pay will continue to draw the dearness allowance at the rates in force on the 1st January, 2006 and the dearness allowance will count towards the emoluments for pension, etc. to the extent it so counted on the said date. If a Government servant is holding a permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post, or would have officiated in one or more posts but for his being on deputation etc., he has the option to retain the existing scale applicable to a permanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised pay structure.

Rule 6 - This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who should be apprised of such option. The option has to be exercised in the appropriate form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Government servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time these rules are promulgated, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post in India. In the case of Government servants the revised pay structure of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement.

Persons who have retired between 1st January 2006 and the date of issue of these rules are also eligible to exercise option.

Rule 7(1) - This rule deals with the actual fixation of pay in the existing scales on 1st January, 2006. A few illustrations indicating the manner in which pay of Government servants should be fixed under this sub-rule subject to stepping up of pay under Notes below rule 7(1) are given in the attached Annexure.

Rule 7(2) - The benefit of this rule is not admissible in cases where a Government servant has elected the revised pay structure in respect of his substantive post, but has retained the existing scale in respect of an officiating post.

Rule 8 - This Rule prescribes the method of fixation of pay of employees appointed as fresh recruits on or after 1.1.2006.

Rule 9 & 10 - These rules prescribe the manner in which the next increment in the new scale should be regulated. The provisos to this rule are intended to eliminate the anomalies of junior Government servants drawing more pay than their senior by the operation of substantive part of this rule and also taking care of the Government servants who have been drawing pay at the maximum of the existing scale for more than one year as on 1.1.2006 and also those Government servants who have been stagnating at the maximum of the existing scale and are actually in receipt of stagnation increment on ad hoc basis.

Rule 11 to 17 - These rules are self-explanatory.

[F. No. 1/1/2008-IC] SUSHAMA NATH, Secy.

Rs.25188 (Rounded off to Rs.25190)

Illustration 1 : Fixation of initial pay in the revised pay structure

2. Pay Band applicable PB-1 Rs.5200-20200	
3. Existing basic pay as on 1.1.2006 Rs.4800	
4. Pay after multiplication by a factor of 1.86 Rs. 8928 (Rounded off to Rs.89	930)
5. Pay in the Pay Band PB-2 Rs.8930	
6. Pay in the Pay Band after including benefit Rs.8930 of bunching, if admissible	
7. Grade Pay attached to the scale Rs.2400	
8. Revised basic pay – total of pay in the pay Rs.11330 band and grade pay	
<u>Illustration 2</u> : Fixation of initial pay in the revised pay structure of medical officer	s
1. Existing Scale of Pay Rs.10000-15200	•
2. Pay Band applicable PB-3 Rs.15600-39100	
3.Existing basic pay as on 1.1.2006 Dearness Pay (DP) on pay + NPA 25% NPA on basic pay + DP Dearness Allowance (DA) @ 24%Rs.10000 	

3255 GI/08-9

Existing emoluments

Published on National Portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

· · .		EXTRAORDINARY [Part II—Sec
4.	Revised pay in the pay band after multiplication by a factor of 1.86 on basic pay	Rs.18600
5.	DA on NPA	Rs.976 (24% of Rs.4063)
6.	Pay in the Pay Band attached to the scale	Rs.19580 (18600+976=19576 Rounded off)
6.	Grade Pay attached to the scale	Rs.6600
7.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.26180
8.	Revised NPA	Rs.6545
<u>Illus</u>	tration 3	
Stag	e 1 : Initial fixation of Group D employee in -1	S
1.	Existing Scale of Pay	Rs.2550-55-2660-60-3200
2.	Pay Band applicable	-1S Rs.4440-7440
3.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.2840
4.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs.5282 (Rounded off to Rs.5290)
5.	Pay in the Pay Band	Rs.5290
6.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs.5290
7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.1300
8.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.6590
Stag	e 2 : Fixation of Group D employee possessing	requisite qualification or after retrainir
1.	Existing Scale of Pay	Rs.2500-55-2660-60-3200
2.	Pay Band applicable	PB-1 Rs.5200-20200
3.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.2840
4.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs.5282 (Rounded off to Rs.5290)
5.	Pay in the Pay Band PB-1	Rs.5290
6.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs. 5530

I

http://india.gov.in

LANGE BALL I STREET

	ड 3(i)] भारत का राजपत्र : अ	
7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.1800
8.	Revised basic pay - total of pay in the pay band and grade pay	Rs.7330
Illu	stration 4A : Pay fixation in cases where posts revised pay scale of Rs.3050-75-39	have been upgraded e.g. posts in pre 950-80-4590 to Rs.3200—85-4900 scale
1.	Existing Scale of Pay	Rs.3050-4590 (Corresponding Grade Pay Rs.1900
2.	Pay Band applicable	PB-1 Rs.5200-20200
3.	Upgraded to the Scale of Pay	Rs.3200-4900 (Corresponding Grade Pay Rs.2000
4.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.3125
5.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs.5813 (Rounded off to Rs.5820)
6.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.5820
7.	Pay in the pay band after including benefit of bunching in the pre-revised scale of Rs.3050-4590, if admissible	Rs.6060
8.	Grade Pay attached to the scale of Rs.3200-4900	Rs.2000
9.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.8060
<u>Illu</u>	stration 4B : Pay fixation in cases where pa revised pay scales of Rs.5000-800	y scales have been merged e.g. pr 0, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500
1.	Existing Scale of Pay	Rs.5000-150-8000
2.	Pay Band applicable	PB-2 Rs.9300-34800
3.	Merged with the scale of pay	Rs.6500-200-10500
4.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.5600
5.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs. 10416 (Rounded off to Rs.10420
6.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.10420
7.	Pay in the Pay Band after including benefit	Rs.10420

i

64		THE GAZETTE OF INDIA : E	XTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i)]
	8.	Grade Pay attached to the scale of Rs.6500-200-20500	Rs.4200
	9.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.14620
	Illus	stration 5 : Pay fixation on grant of increment in	n the revised pay structure
	1.	Pay in the PB-2	Rs.9300
	2.	Grade Pay	Rs.4200
	3.	Total of pay + grade pay	Rs.13500
	4.	Rate of increment	3% of 3 above
	5.	Amount of increment	Rs.405 rounded off to Rs.410
	6.	Pay in the pay band after increment	Rs.9300 + 410
	7.	Pay after increment	Rs.9710
	8.	Grade pay applicable	Rs.4200

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1

٢

E CHERTER D

1 |

1 1